कानपुर नगर निगम

दिनांक 20.08.2019 की स्थगित बैठक जो दिनांक 04.09.2019 को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक का कार्यवृत्त

समय प्रातः 11.00 बजे

स्थानः नगर निगम समिति कक्ष,मोतीझील,कानपुर

कार्यालय सचिव नगर निगम
नगर निगम,कानपुर

पत्र संख्या :–डी/381/सचिव (न0नि0)/2019–20 दिनांक :– 10.10.2019

सेवा में,

मा0 श्री/श्रीमती.............................

पार्षद वार्ड सं0.........../सदस्य कार्यकारणी

महोदय/महोदया,

नगर निगम मा0 कार्यकारिणी समिति की दिनांक 20.08.2019 को स्थगित बैठक जो दिनांक 04.09.2019 को सम्पन्न हुई, का कार्यवृत्त आपकी सेवा में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक :– कार्यवृत्त पृष्ठ संख्या 01 से 48 तक।

सचिव
नगर निगम,कानपुर

प्रतिलिपि :–

1.नगर आयुक्त महोदय की सेवा में संज्ञानार्थ।
2.अपर नगर आयुक्त (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) महोदय को सूचनार्थ।
3.समस्त विभागाध्यक्ष/विभागीय अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर निगम,कानपुर

दिनांक 04.09.2019 दिन बुद्धवार को पूर्वान्ह 11:00 बजे नगर निगम मुख्यालय मोतीझील स्थित समिति कक्ष में सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति

1. श्रीमती प्रमिला पाण्डेय — महापौर/सभापति
2. श्री महेन्द्र पाण्डेय 'पप्पू' — सदस्य/उप सभापति
3. श्री मो0 अमीम — सदस्य
4. श्री जितेन्द्र — सदस्य
5. श्रीमती रीता पासवान — सदस्य
6. श्री लियाकत अली — सदस्य
7. श्री जय प्रकाश पाल — सदस्य
8. श्री अनूप कुमार शुक्ला — सदस्य
9. श्री अवनीश खन्ना — सदस्य
10. श्री अश्वनी कुमार चड्ढा सदस्य
11. श्री दिनेश तिवारी — सदस्य
12. श्री हाजी सुहैल अहमद — सदस्य

अधिकारीगण

1. श्री संतोष कुमार शर्मा — नगर आयुक्त
2. श्री अमृत लाल बिन्द — अपर नगर आयुक्त 'प्रथम'
3. श्रीमती रोली गुप्ता — अपर नगर आयुक्त 'तृतीय'
4. श्री रमेशचन्द्र निरंजन — मुख्य वित एवं लेखाधिकारी
5. श्री कैलाश सिंह — मुख्य अभियन्ता 'सिविल'
6. श्री अजय कुमार शंखवार — नगर स्वास्थ्य अधिकारी
7. डॉ0 ए0के0 सिंह — पशु चिकित्साधिकारी
8. श्री संजय सिन्हा — महाप्रबन्धक 'जलकल'

सभापति ने सर्वप्रथम बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये नगर आयुक्त को एजेण्डानुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश दिये।

नगर आयुक्त ने कहा कि माननीय सभापति महोदया के आदेश के क्रम में माननीय कार्यकारिणी समिति की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये बैठक में आये हुये सभी माननीय सदस्यों एवं आप सभी का स्वागत करता हूँ तथा8 जो अधिकारी नये स्थानान्तरित होकर आये है वह एक–एक कर अपना परिचय कार्यकारिणी समिति के समक्ष दे ताकि सभी सदस्य अवगत हो सके। जिस पर सभी अधिकारियों ने एक–एक कर अपना परिचय कार्यकारिणी समिति के समक्ष दिया। इसके पश्चात् नगर आयुक्त ने एजेण्डानुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये कार्यकारिणी सदस्यों को एजेण्डा से अवगत कराते हुये बिन्दुओं पर अपने–अपने विचार रखने हेतु कहा ।

दिनांक 14.02.2019 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक का टेबिल प्रस्ताव–जो अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करने के लिये मा0 महापौर महोदया के निर्देशानुक्रम पुनः विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ हेतु प्रस्तुत है।

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या –99</u>

माननीय विधायक श्री महेश त्रिवेदी द्वारा संस्तुत एवं श्री हाजी सुहेल अहमद द्वारा प्रस्तुत टेबुल प्रस्ताव पर विचार करना :–

विषय :– रतन लाल शर्मा स्टेडियम किदवई नगर को क्रिकेट एकादमी के आवंटन हेतु।

सभापति महोदया, श्री धीरेन्द्र चन्द पुत्र श्री किशन चंद 73–ए हनुमन्त विहार नौबस्ता, कानपुर नगर ने निवेदन किया है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी है, देश एवं प्रदेश की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर शहर व प्रदेश का नाम उज्जवल किया है। इनकी इच्छा है कि नगर एवं प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रशिक्षित कर प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं हेतु तैयार कर सके। इन्होंने रतन लाल शर्मा स्टेडियम में क्रिकेट अकादमी चलाने का अनुरोध किया है।

अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य में मैं रतन लाल शर्मा स्टेडियम में श्री धीरेन्द्र चन्द्र को क्रिकेट अकादमी चलाने की संस्तुति के साथ विचार–विमर्श करने हेतु सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूँ।

श्री हाजी सुहैल अहमद ने कहा कि यह तीनों प्रस्तावों को निरस्त कर यदि कोई नया प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार कर लिया जाये।

नगर आयुक्त ने कहा कि यदि आप सब सहमत हो तो इसको टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से करा लिया जाये।

सभापति ने कहा कि उचित होगा कि पहले प्रस्तावों को पूरा पढ़ कर विचार कर लिया जाये, तत्पश्चात् ही प्रस्तावों को कार्यसूची के लिये प्रेषित किया जाये।

.... **प्रस्ताव निरस्त किया जाता है।**

<u>प्रस्ताव संख्या–100</u>

श्री मो0 अमीम,मा0 पार्षद वार्ड–97 एवं अन्य 05 पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

विषय :– <u>स्व0 रतन लाल शर्मा स्टेडियम,किदवई नगर में किकेट एकादमी चलाने के सम्बन्ध में।</u>

सादर अनुरोध है कि दिनांक 09.07.2018 को मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक मे यह तय हुआ था कि पालिका स्टेडियम की तर्ज पर नगर निगम की आय बढ़ाने तथा किकेट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "स्व0 रतन लाल शर्मा स्टेडियम,किदवई नगर में भी किकेट एकादमी का प्रस्ताव प्राप्त करके मा0 कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

इस सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि श्री धीरेन्द्र चन्द्र निवासी 73 ए हनुमान विहार,नौबस्ता,कानपुर (जो कि किकेट के नेशनल लेबल के खिलाड़ी है) को उक्त स्व0 रतन लाल शर्मा स्टेडियम,किदवई नगर में किकेट एकादमी चलाने के इच्छुक है। इनके एकादमी संचालन से नगर में किकेट की गुणवता में सुधार आयेगा। यह नगर निगम द्वारा मॉगी जाने वाली सारी शर्तो को मानते हुऐ वार्षिक रूप से लिये जाने वाले शुल्क को भी अदा करने को तैयार है।

अतः आपसे मा0 कार्यकारिणी के समक्ष सादर अनुरोध है कि श्री धीरेन्द्र चन्द्र को स्व0 रतन लाल शर्मा स्टेडियम,किदवई नगर में किकेट एकादमी चलाने हेतु आदेश पारित करे। जनहित में अति आवश्यक है।

.... **प्रस्ताव संख्या–99 पर निर्णय लिया जा चुका है।**

प्रस्ताव संख्या–101

नगर आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित दिनांक 28.09.18 स्व0 रतनलाल शर्मा स्मारक क्रीड़ा स्थल, किदवई नगर स्टेडियम पर क्रिकेट का प्रशिक्षण देने हेतु श्री बालकृष्ण मिश्रा, राष्ट्रीय स्तर क्रिकेट खिलाड़ी 133/158 एम ब्लाक किदवई नगर कानपुर से अनुबन्ध हेतु मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

माननीय कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ निम्नवत् प्रस्ताव प्रस्तुत है।

प्रस्ताव

नगर निगम के क्रीड़ा विभाग की आय बढ़ाने एवं शहर में उच्च स्तरीय क्रिकेट प्रशिक्षण व्यवस्था को स्व0 रतन लाल शर्मा स्मारक क्रीड़ा स्थल, किदवई नगर स्टेडियम पर राष्ट्रीय स्तर क्रिकेट खिलाड़ियो एवं समय समय पर अन्तर्राष्टीय क्रिकेट खिलाड़ियो से क्रिकेट का प्रशिक्षण दिलाकर राष्टीय एवं अन्तर्राष्टीय स्तर पर प्रदेश के खिलाड़ियो को तैयार करने के उद्देश्य से निम्नलिखित नियम/शर्तो के अधीन एक वर्ष के लिये श्री बालकृष्ण मिश्रा, 133/158 एम ब्लाक किदवई नगर से अनुबन्ध किये जाने हेतु कार्यकारिणी के समक्ष स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित है:–

1. प्राधिकारी (प्रथम पक्ष नगर निगम कानपुर) द्वारा स्व0 रतन लाल शर्मा स्मारक क्रीड़ा स्थल किदवई नगर स्टेडियम में क्रिकेट प्रशिक्षण को सुचार रूप से चलाने (संचालन) एवं प्रबन्धन तथा क्रिकेट की कोचिंग के लिये द्वितीय पक्ष की सेवाये प्राप्त करेगे।
2. कार्यकारिणी से प्रस्ताव पास होने के उपरान्त व अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष के लिये अनुबन्ध किया जायेगा परन्तु किसी भी पक्ष द्वारा लिखित रूप से एक माह की पूर्व सूचना देकर बिना कारण बताये इसे समाप्त किया जा सकता है।
3. द्वितीय पक्ष (श्री बालकृष्ण मिश्रा) स्व0 रतन लाल शर्मा स्मारक क्रीड़ा स्थल, किदवई नगर स्टेडियम एकलव्य क्रिकेट एकेडमी के नाम से शर्तो के अधीन क्रिकेट प्रशिक्षण देगे। एकलव्य क्रिकेट एकेडमी मे बच्चो को केवल क्रिकेट का प्रशिक्षण राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, एन0आई0एस0, बी0सी0सी0आई0 से प्रशिक्षित क्रिकेट प्रशिक्षको व प्रदेश स्तर के खिलाड़ियो से प्रशिक्षण दिलाया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
4. द्वितीय पक्ष द्वारा स्व0 रतन लाल शर्मा स्मारक क्रीड़ा स्थल, कदवई नगर स्टेडियम में एकलव्य क्रिकेट एकेडमी चलाने पर प्रथम पक्ष के क्रीड़ा विभाग में प्रतिमाह रुपया 10000/– (रुपया दस हजार) मात्र किराये के रूप में जमा करना होगा। यह धनराशि एक वर्ष हेतु एक मुश्त रुपया 1,20000/–(रु0 एक लाख बीस हजार) मात्र जमा करने होगे इस राशि पर 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 भी एक मुश्त एक साथ जमा करनी होगी और द्वितीय पक्ष द्वारा अगले वर्ष के लिये और मांगने पर पूर्व वर्ष के कार्य को संतोषजनक पाये जाने पर अगले वर्ष कार्यकारिणी की अनुमति से एकलव्य क्रिकेट एकेडमी को चलाने के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ किराया जमा करना होगा एवं कार्यकारिणी की अनुमति पर दूसरे वर्ष के संतोषजनक कार्य पर तीसरे वर्ष एकलव्य क्रिकेट एकाडमी को 10 प्रतिशत की बढोत्तरी के साथ किराया जमा करना होगा।
5. द्वितीय पक्ष एकलव्य क्रिकेट एकेडमी चलाने हेतु रुपया 25000/– (रुपया पच्चीस हजार) मात्र की धनराशि प्रतिभूति स्वरूप प्रथम पक्ष के कोष में मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी नगर निगम कानपुर के नाम से ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा, जिसकी वापसी एकलव्य क्रिकेट एकेडमी के संतोषजनक संचालन के पश्चात प्रथम पक्ष के सहायक क्रिकेट प्रशिक्षक द्वारा कार्य कुशलता प्रमाण पत्र पर वापस होगा।
6. यह कि द्वितीय पक्ष को स्व0 रतन लाल शर्मा स्मारक क्रीड़ा स्थल, किदवई नगर स्टेडियम पर एकलव्य क्रिकेट एकेडमी चलाने हेतु क्रिकेट नेट प्रातः व सांय काल सहायक क्रिकेट प्रशिक्षक द्वारा शर्तो के अधीन तैयार कर उपलब्ध कराये जायेगें।

7. यह कि प्रथम पक्ष के पार्षदो, अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रित बच्चों एवं गरीब बच्चो को प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जायेगा जिसकी सूची क्रीड़ा विभाग द्वारा समय–समय पर दी जायेगी।

8. यह कि द्वितीय पक्ष एकलव्य क्रिकेट एकेडमी को सुचार रूप से संचालित करने के लिये नेट, बाल, स्टम्प इत्यादि स्वयं अपने स्तर से तथा द्वितीय पक्ष यह भी सुनिश्चित करेगा कि खिलाड़ियों के उत्थान तथा उनकी खेल प्रतिभा का सर्वांगीर्ण विकास तथा क्रिकेट खेलने के उन्नयन एवं संबर्द्धन करने हेतु सभी प्रकार के हर सम्भव आवश्यक प्रयास सुनिश्चित किये जायेगे।

9. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा स्व0 रतन लाल शर्मा स्मारक क्रीड़ा स्थल, किदवई नगर स्टेडियम तथा क्रिकेट खेल से सम्बन्धित नियमो, विनियमों एवं अपेक्षित अनुशासन एवं व्यवस्थाओ को कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. यह कि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के कानपुर नगर निगम क्रीड़ा विभाग पालिका स्टेडियम में कार्यरत सहायक क्रिकेट प्रशिक्षक के निर्देशानुसार कोचिंग/प्रशिक्षण का कार्य संचालित करेगा और वह प्रथम पक्ष के अधिकारियों/कर्मचारियों के तत्सम्बन्धी कार्यो में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

11. यह कि एकलव्य क्रिकेट एकेडमी से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार प्रथम पक्ष के स्व0 रतन लाल शर्मा स्मारक क्रीड़ा स्थल, किदवई नगर स्टेडियम के अन्दर नही किया जायेगा।

12. यह कि अनुशासनहीनता एवं अनियममितता पाये जाने पर नगर आयुक्त द्वारा अनुबन्ध को निरस्त किया जायेगा।

13. यह कि उपरोक्त शर्तो का किसी प्रकार का उल्लंघन पाये जाने पर प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष की जमा प्रतिभूति राशि रुपया 25000/– (रुपया पच्चीस हजार) मात्र को जब्त कर अनुबन्ध निरस्त कर दे।

14. यह कि मा0 कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क प्रतिमाह प्रति बच्चा रुपया 800/– फीस के रूप में प्राप्त किया जायेगा इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी शुल्क प्रशिक्षणार्थियो से प्राप्त न किया जाये।

15. यह कि उपरोक्त शर्तो से सम्बन्धित किसी विवाद की दशा में नगर आयुक्त, नगर निगम कानपुर को संदर्भित किया जायेगा और उनका ही निर्णय अंतिम होगा।

16. संचालको द्वारा प्रशिक्षणार्थियो से किसी व्यक्ति विशेष स्पोर्ट्स शॉप से क्रिकेट सामग्री क्रय करने हेतु बाध्य नही किया जायेगा। इस तरह की शिकायत प्राप्त होने पर द्वितीय पक्ष के ऊपर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री हाजी सुहैल अहमद ने कहा कि यह तीनों प्रस्तावों को निरस्त कर यदि कोई नया प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार कर लिया जाये।
नगर आयुक्त ने कहा कि यदि आप सब सहमत हो तो इसको टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से करा लिया जाये।
सभापति ने कहा कि उचित होगा कि पहले प्रस्तावों को पूरा पढ़ कर विचार कर लिया जाये।
पढ़ कर विचार कर लिया जाये।

.... प्रस्ताव संख्या–99 पर निर्णय लिया जा चुका है।

<u>प्रस्ताव संख्या–102</u>

कु0 कीर्ति अग्निहोत्री,मा0 पार्षद वार्ड–42 एवं अन्य 09 पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

विषय :–सभी वार्डो में 20,20 नई लाइटे पार्षदो से सूची लेकर लगाये जाने के सम्बन्ध में।

जनहित में आपको सादर अवगत कराना चाहती हूँ। कि कानपुर के वार्ड 42 परमट वार्ड के साथ–साथ प्रत्येक वार्डो में बहुत सी गलिया व मोहल्लो मे जहॉ अधेरा रहता है। जिसमें प्रकाश की कोई व्यवस्था नही,दीपावली व नवरात्रि के त्यौहारो को देखते हुए जनहित में 20,20 लाइटें नई प्रत्येक पार्षदो के क्षेत्र मे लगवाई जाये पार्षदो की सूची लेकर आपकी महान कृपा होगी।

नगर आयुक्त ने मुख्य अभियन्ता 'मार्गप्रकाश' श्री आर0के0पाल को निर्देशित किया कि सम्बन्धित कम्पनी को पत्र देकर पार्षदों के वार्ड क्षेत्र में 15 दिन के अन्दर कार्यवाही करायें।

.... **सभी पार्षद के वार्ड क्षेत्रों में 20–20 नई लाईटें लगवायें जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या–103

श्री अभिषेक गुप्ता (मोनू),मा0 पार्षद वार्ड–101 एवं अन्य 04 पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

अवगत कराना चाहता हूॅ कि कानपुर में स्व0 महेश दीक्षित जी जो कि कॉग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे व समाज में एक अच्छे समाज सेवा के रूप में कार्य करके कानपुर में एक अच्छी अलग पहचान बनाई,उनके नाम से मेस्टन रोड में स्थित कोतवाली चौराहे का नाम करण उनके नाम पर श्री महेश दीक्षित चौराहा कराने का प्रस्ताव करता हूॅ।

इसी सम्बन्ध में मा0 श्री अमिताभ बाजपेई,विधायक आर्य नगर विधान सभा,कानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो नगर आयुक्त महोदय आदेश पृष्ठांकित किये गये है मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है कि " मेरी विधान सभा आर्य नगर के मेस्टन रोड पर कोतवाली चौराहे का नामकरण **"स्व0 महेश दीक्षित चौक"** करवाने का कष्ट करें।"

.... **आर्य नगर विधान सभा के अन्तर्गत मेस्टन रोड पर कोतवाली चौराहे का नामकरण "स्व0 महेश दीक्षित चौक" किये जाने हेतु यथानियम स्वीकृति प्रदान की गई।"**

प्रस्ताव संख्या–104

श्री अमित कुमार मेहरोत्रा, मा0 पार्षद वार्ड–76 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

विषय :– **वार्ड–76 हरवंश मोहाल घसयारी मंडी क्षेत्र में ध्वस्त की गई दुकानो के सम्बन्ध में।**

आपको अवगत कराना है कि वार्ड–76 हरवंश मोहाल घसयारी मंडी क्षेत्र में घसयारी मंडी नाम से बाजार था जो कि कानपुर नगर निगम के अर्न्तगत आता है। उपरोक्त घसयारी मंडी बाजार को लगभग दो से तीन साल पहले ध्वस्त कर दिया गया। उपरोक्त बाजार की भूमि पर हाई कोर्ट में स्टे मिला हुआ था। स्टे होने के उपरान्त वहॉ पर बनी दुकानो ध्वस्त कर दिया गया,दुकाने टूट जाने के बाद दुकानदार बेसहारा व बेरोजगार हो गये। उन दुकानदारो ने मान हानि का मुकदमा दायर किया जब फैसला आया तो फैसला दुकानदारों के पक्ष में आया। अतः आपसे प्रार्थना है कि उपरोक्त खाली पड़ी बाजार भूमि पर पुनः दुकानें बनाई जाये या दुकाने बनाने की अनुमति प्रदान की जाय और कानपुर नगर निगम के द्वारा किराया तय कर उन दुकानदारो से लिया जाये उन दुकानदारो निमित किया जाय ताकि दुकानदारो रोजगार मिल सकें। आपसे पुनः निवेदन है कि जनहित में कार्य करवाने की कृपा करें।

नगर आयुक्त ने जोनल अधिकारी जोन–1 को स्थिति से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया।

जोनल अधिकारी जोन–1 ने कहा कि यह जमीन नजूल की जमीन है, जो जिला प्रशासन की देख–रेख में है, जिसे जिला प्रशासन द्वारा ही हटाया गया था।

.... **यथा नियम परीक्षण कराते हुये अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।**

प्रस्ताव संख्या–105

श्री नवीन पंडित (उप सभापति) मा0 पार्षद वार्ड– द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

विषय :–महामंगलेश्वर पार्क सी.ब्लाक का नाम सरला सिंह वाटिका किए जाने के संदर्भ में।

आपको अवगत कराना है कि स्व0 सरला सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ कार्यकर्ता थी और कानपुर की मेयर भी रह चुकी है।

अतः महामंगलेश्वर पार्क सी.ब्लाक का नाम सरला सिंह वाटिका किए जाने का प्रस्ताव पास करने का कष्ट करे।

.... **चूंकि प्रश्नगत पार्क का नाम पूर्व से ही महामंगलेश्वर है, अतएव प्रस्ताव निरस्त किया जाता है।**

प्रस्ताव संख्या–106

श्री जय प्रकाश पाल मा0 पार्षद वार्ड–72 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

सादर अवगत कराना है कि कानपुर नगर निगम से होने वाले विकास कार्यो के भुगतान के समय पार्षद की संस्तुति पत्र अवश्य लिया जाए। कार्य चाहे जिस किसी भी मद का हो। कृपया सभी पार्षदो के क्षेत्र हित में प्रस्ताव कार्यकारिणी में सम्मिलित करने का कष्ट करें।

श्री जय प्रकाश पाल ने कहा कि नगर निगम द्वारा कार्य किसी भी निधि से कराया गया हो, उसके भुगतान से पूर्व क्षेत्रीय पार्षद से उस कार्य के संतोषजनक ढंग से कराये जाने का पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही उस कार्य के भुगतान की कार्यवाही की जाये।

मुख्य अभियन्ता ने कहा कि नगर निगम अधिनियम में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नही है।

श्री मो0 अमीम ने कहा कि किस आधार पर मुख्य अभियन्ता द्वारा सॉलवेन्सी के अभाव में ठेकेदारों के पंजीकरण का नवीनीकरण क्यों नही किया जा रहा है।

नगर आयुक्त ने कहा कि सॉलवेन्सी व चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार जिला प्रशासन को है। यदि पार्षद किसी कार्य के सम्बन्ध में लिखते है कि यह कार्य ठीक नही हो रहा है तो उस कार्य की समिति बनाकर जाँच करा ली जाये।

उप सभापति ने कहा कि सन् 1989 में इस प्रकार कार्य पूर्ण होने के पश्चात् क्षेत्रीय पार्षद से पत्र लेने की कार्यवाही की जाती थी, जिसमें पार्षद से संतोषजनक कार्य का पत्र लिया जाता था।

श्री मो0 अमीम ने कहा कि ठेकेदार कार्य करके स्थल पर मलवा व निर्माण सामग्री छोड़कर चले जाते है, जिससे बाद में कठिनाईयाँ होने पर क्षेत्रीय जनता पार्षद को घेरती है।

नगर आयुक्त ने कहा कि पहले मैं जहाँ पर था वहाँ पर इस प्रकार का निर्णय लिया गया था, फिर कार्य की रिकार्डिंग की जाने लगी, जिसे बाद में वापस लेना पड़ा। यदि पार्षद द्वारा कार्य के सम्बन्ध में पत्र नही दिया जाता है तो उस पर क्या कार्यवाही की जायेगी। मुख्य अभियन्ता यह सुनिश्चित करायें की सभी जोनल अभियन्ताओं द्वारा कार्य के कार्यादेश की छायाप्रति सम्बन्धित क्षेत्र के पार्षद को भी उपलब्ध कराई जाये।

उप सभापति ने कहा कि पूर्व में कार्यादेश की कॉपी क्षेत्रीय पार्षद को दी जाती थी, जिससे क्षेत्रीय पार्षद जनता को भी अवगत करा सकता था कि उक्त कार्य का कार्यादेश हो चुका है। नगर निगम द्वारा किसी भी मद से कार्य कराया जाये उसके कार्यादेश की प्रति सम्बन्धित क्षेत्र के पार्षद को भी उपलब्ध कराई जाये।

नगर आयुक्त ने कहा कि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त क्षेत्रीय पार्षद से पत्र ले लिया जाये कि कार्य स्थल से मलवा व बची हुई निर्माण सामग्री हटा ली गई है।

.... **स्थल से मलवा व निर्माण समग्री हटा ली गई है, के सम्बन्ध में क्षेत्रीय पार्षद का पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्य के अन्तिम भुगतान की कार्यवाही की जाये।**

प्रस्ताव संख्या–107

नगर आयुक्त के पत्र सं0 डी/542/अ0अ0–4 दिनांक 02.11.18 को नगर निगम अधिनियम की धारा 132 (5) के अर्न्तगत कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव सूचनार्थ निम्नवत् प्रेषित है :–

मा0 कार्यकारिणी के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित

कम सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा धनांक	दर	ठेकेदार/ फर्म का नाम
1	जोन–4 वार्ड 97 के अन्तर्गत मकान नं0 99/308 से नव ज्योति स्कूल होते हुए ट्रान्सफार्मर 100/132 तक सी0सी0 द्वारा ट्रेन्च मरम्मत एवं 100/184 से 99/320 तक गली का सुधार कार्य।	रोड कटिंग	9,09,949.00	8,12,455.00	आगणन दर पर	मे0 एवन कान्स0

2	जोन–4 वार्ड 03 के अन्तर्गत बजरिया बडा चौराहा से 103/337 होते हुए 103/299 टेनी हलवाई तक गली का सी0सी0 द्वारा सुधार कार्य।	रोड कटिंग	6,08,669.00	5,35,312.00	आगणन दर से 1.60 प्रतिशत निम्न	मे0 विशाल कान्स0
3	जोन–4 वार्ड 03 के अन्तर्गत 103/297 पुरानी शराब गद्दी से 103/168–255 होते हुए अखाडा तक गली का सी0सी0 द्वारा सुधार कार्य।	रोड कटिंग	9,80,254.00	7,78,789.00	आगणन दर से 10.99 प्रतिशत निम्न	मे0 वारसी कान्स0
4	जोन–4 वार्ड 49 गाँधी नगर के अन्तर्गत 106/289 से 106/300 तक नाली, इण्टरलाकिंग एवं जल निकासी हेतु भूमिगत पाइप लाईन डालने का कार्य।	सडक अनुरक्षण	5,32,426.00	5,32,160.00	आगणन दर से 0.05 प्रतिशत निम्न	मे0 अतुल कुमार सिंह
5	जोन–4 वार्ड 37 अशोक नगर क अन्तर्गत 80फिट रोड पर घोष मिष्ठान भण्डार के सामने क्षतिग्रस्त डॉट नाला एवं सडक की मरम्मत का कार्य।	117(6)बी	8,19,545.00	7,13,443.00	आगणन दर से 2.50 प्रतिशत निम्न	मे0 जोया कान्स0
6	जोन–4 वार्ड 75 सूटरगंज के अन्तर्गत महात्मा गाँधी स्कूल से मकान नं0 11/54 तक सडक का ट्रेन्च एवं हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य।	रोड कटिंग	7,23,089.00	7,22,004.00	आगणन दर से 0.15 प्रतिशत निम्न	मे0 इण्डियन इन्फाबिल्ट प्रा0लि0
7	जोन–4 वार्ड 61 तिलक नगर के अन्तर्गत पम्पिंग स्टेशन से रावतपुर तक सडक का हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य।	117(6)बी	9,97,867.00	8,88,725.00	आगणन दर से 0.25 प्रतिशत निम्न	मे0 इण्डियन इन्फाबिल्ट प्रा0लि0
8	जोन–4 वार्ड 61 तिलक नगर के अन्तर्गत जी0टी0 रोड पर जनरेटर रूम तक सडक का हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य।	117(6)बी	8,16,740.00	7,27,409.00	आगणन दर से 0.25 प्रतिशत निम्न	मे0 इण्डियन इन्फाबिल्ट प्रा0लि0
9	जोन–4 वार्ड 61 तिलक नगर के अन्तर्गत आर्य नगर कासिंग से लिनेन क्लब तक ट्रेन्च मरम्मत व सडक का सुधार कार्य।	रोड कटिंग	5,13,716.00	5,13,202.00	आगणन दर से 0.10 प्रतिशत निम्न	मे0 इण्डियन इन्फाबिल्ट प्रा0लि0
10	जोन–4 वार्ड 61 स्वरूप नगर के अन्तर्गत एमराल्ड अपार्टमेन्ट के पास सडक का हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य।	रोड कटिंग	8,61,675.00	8,58,228.00	आगणन दर से 0.40 प्रतिशत निम्न	मे0 इण्डियन इन्फाबिल्ट प्रा0लि0
11	जोन–4 वार्ड 61 स्वरूप नगर के अन्तर्गत कम्पनी बाग से सुखधाम अपार्टमेन्ट तक सडक का हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य।	रोड कटिंग	7,69,484.00	7,67,945.00	आगणन दर से 0.20 प्रतिशत निम्न	मे0 इण्डियन इन्फाबिल्ट प्रा0लि0
12	जोन–4 वार्ड 61 स्वरूप नगर के अन्तर्गत राजीव पेट्रोल पम्प से	रोड कटिंग	8,66,660.00	8,64,060.00	आगणन दर से 0.30 प्रतिशत	मे0 इण्डियन
13	जोन–4 वार्ड 61 स्वरूप नगर के अन्तर्गत गोपालय मोड से ठण्डी पुलिया तक सडक का हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य।	रोड कटिंग	8,71,904.00	8,67,544.00	आगणन दर से 0.50 प्रतिशत निम्न	मे0 इण्डियन इन्फाबिल्ट प्रा0लि0
14	जोन–4 वार्ड 10 के अन्तर्गत आर्य नगर चौराहा से आर्य नगर धर्मशाला	रोड कटिंग	6,67,746.00	6,63,740.00	आगणन दर से 0.60 प्रतिशत	मे0 इण्डियन

	तक ट्रेन्च का सुधार कार्य।।				निम्न	इन्फ्राबिल्ट प्रा0लि0
15	जोन–4 वार्ड 42 परमट के अन्तर्गत 14/14 हामिया ग्रुप से एफ0एम0 कालोनी होते हुए हनीमैन तिराहा तक सडक का हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य।	रोड कटिंग	8,61,274.00	8,59,121.00	आगणन दर से 0.25 प्रतिशत निम्न	मे0 इण्डियन इन्फ्राबिल्ट प्रा0लि0
16	जोन–4 वार्ड 10 बेनाझाबर के अन्तर्गत कमल चौराहा से बेनाझाबर रोड तक सडक का हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य।	रोड कटिंग	8,56,345.00	8,53,776.00	आगणन दर से 0.30 प्रतिशत निम्न	मे0 इण्डियन इन्फ्राबिल्ट प्रा0लि0

सभापति ने कहा कि इस प्रकार के प्रस्तावों को कार्यकारिणी समिति की बैठक में लाकर कार्यकारिणी समिति की बैठक के महत्वपूर्ण समय को अनावश्यक रूप व्यर्थ करने का क्या औचित्य है ? यह प्रस्ताव किसके द्वारा लगाया गया है।

नगर आयुक्त ने कहा कि यदि इस प्रकार के प्रस्ताव लगाये जाने थे, तो सभी जोनो के प्रस्ताव लगाये जाने चाहिये थे, सिर्फ जोन–4 का ही क्यों लगाया गया है।

सभापति ने कहा कि सम्बन्धित अधिकारी इसके सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें कि कार्यकारिणी समिति को गुमराह क्यों किया जा रहा है ?

नगर आयुक्त ने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष/विभागीय अधिकारी व सचिव नगर निगम पहले देख लें, उसके बाद ही कार्यकारिणी के एजेण्डे में प्रस्ताव सम्मिलित करायें।

श्री हाजी सुहैल अहमद ने कहा कि अभियन्त्रण खण्ड–4 में 117(6)बी के कार्य के टेण्डर क्यों कराये गये है, इसके सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी से पूछा जाये।

अधिशाषी अभियन्ता जोन–4 ने बताया कि 117(6)बी के किसी भी कार्य का टेण्डर नही कराया गया है।

श्री हाजी सुहैल अहमद ने कहा कि मेरे पास समाचार पत्र की छायाप्रति है, जिसमें इन्हीं कार्यो के टेण्डर निकाले गये है।

नगर आयुक्त ने मुख्य अभियन्ता को निर्देशित किया कि उपरोक्त सूचनार्थ प्रस्तावों एवं की गई शिकायत की जाँच कराकर शीघ्र अवगत करायें।

.... तद्नुसार कार्यवाही की जाये।

प्रस्ताव संख्या–108

श्रीमती निर्मला मिश्रा मा0 पार्षद वार्ड–27 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

विषय :– <u>वार्ड –27 खाली पड़ी जमीन में गौसाला बनवाने के सम्बन्ध में।</u>

मेरे वार्ड में जमीन खाली पड़ी है। जानवर खुले घूम रहे है। जिससे रास्ते में निकलना चलना सवके लिये खतरा वना रहता है। कितने इक्सीडेन्ट हो रहे है। सिर्फ छुट्टा जानवरों से खाली पड़ी जमीन पर गौसाला बना दिया जाये तो सबके लिये आभारी रहेगी।

सभापित ने कहा कि उक्त स्थल पर नगर निगम का वृद्धाश्रम बना दिया जाये तो अच्छा होगा।

नगर आयुक्त ने जोनल अधिकारी को जोनल अभियन्ता के साथ स्थलीय परीक्षण कराने के निर्देश दिये।

.... **परीक्षणोंपरान्त अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।**

<u>प्रस्ताव संख्या–109</u>

श्रीमती नीतू मिश्रा मा0 पार्षद वार्ड–51 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

वार्ड संख्या– 51 के अर्न्तगत स्थित ''ग्रीन बेल्ट'' जो कि संकट मोचन मन्दिर से दरोगा गेस्ट हाउस तक बहुत ही खराब स्थिति में है कृपया इसका पुन निर्माण व हरी भरी करवानें की कृपा करें क्योकि यहॉ पर गन्दगीं व कूड़ा लोग डालते रहते है अगर वाऊन्ड्री या रेलिगं बना दी जायेगी व पेड़ पौधे लगा दियें जायेगें तो यह अच्छी व सुन्दर हो जायेगी।

.... **नगर निगम निधि से कार्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

<u>प्रस्ताव संख्या–110</u>

श्री राजेश शर्मा एडवोकेट , डा0 रामेश्वर प्रसाद मेमोरियल स्कूल संचालित द्वाराः श्री शंकरजी महाराज विराजमान रामेश्वर मन्दिर (घाट) 5/255 पुराना कानपुर,कानपुर नगर **द्वारा प्रस्तुत व 05 मा0 पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना :–**

विषय :– स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी स्व0 डा0 रामेश्वर प्रसाद 'शर्मा' की स्मृति में गंगा बैराज चौराहे से डा0 रामेश्वर प्रसाद मेमोरियल स्कूल तक के मार्ग का नामकरण स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी डा0 रामेश्वर प्रसाद शर्मा करने की मॉग।

हम आपका ध्यान उत्तर प्रदेश शासन के उप मुख्य मंत्री/कानपुर प्रभारी माननीय केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश के सभी जनपदों के अधिकारियों को निर्देशित किया था कि देश की एकता, अखण्डता को बचाने के लिये अपने प्राणो की आहुति देने वाले क्रान्तिकारियों,स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों/शहिदों की स्मृति में पुलों/मार्गो का नामकरण किया जायें,का संदर्भ ग्रहण करें।

उक्त सन्दर्भ में स्वतन्त्रता सेनानी डा0 रामेश्वर प्रसाद मेमोरियल स्कूल के प्रबन्धक राजेश शर्मा एडवोकेट एवं अखिल भारतीय स्वतन्त्रता सेनानी संगठन/उत्तराधिकारी संगठन कानपुर नगर,उ0प्र0के यशस्वी माननीय योगी आदित्य योगी आदिनाथ व कानपुर की सम्मानित महापौर से मॉग करते है कि देश के स्वतन्त्रता संग्राम में तथा देश की एकता एवं अखण्डता के लिये कठोर कारावास की यातनायें तथा बलिदान करने स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी स्व0 डा0 रामेश्वर प्रसाद 'शर्मा' की स्मृति में गंगा बैराज चौराहे से डा0 रामेश्वर प्रसाद मेमोरियल स्कूल,पुराना कानपुर तक के मार्ग का नामकरण करने की मॉग करते है।

श्री मो0 अमीम ने कहा कि बाहरी व्यक्तियों का प्रस्ताव एजेण्डे में लग ताता है, जबकि पार्षद का प्रस्ताव एजेण्डे में नही लगाये जाते है, यह उचित नही है।

.... **जाँचोपरान्त अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।**

प्रस्ताव संख्या–111

श्री अशुमेन्द्र प्रताप सिंह 'संजय' मीडिया प्रभारी/पूर्व पार्षद भारतीय जनता पार्टी,कानपुर महानगर द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना :–

मेरा प्रस्ताव कि वर्ष 2000 में अतिक्रमण हटाओं अभियान में जोन–5 वार्ड–20 के अर्न्तगत जच्चा बच्चा तथा आयुर्वेदिक नसीमाबाद अस्पताल कालपी रोड के बाहर टिनशेड आदि डाले हुये दुकान बनाकर अपना जीविकोपार्जन कर रहे लोगो को विस्थापित कर दिया गया था। जिनके पुर्नस्थापना हेतु तत्कालीन सदन व कार्यकारिणी द्वारा उक्त विस्थापितों को पुर्न स्थापित किये जाने के लिये नसीमाबाद अस्पताल में 11 दुकानें/भूखण्ड बनाने हेतु आवेदन मॉगे थे जिसके फलस्वरूप उक्त योजना में विस्थापित लोगों द्वारा भूखण्डों के आवंटन हेतु पंजीकरण राशि 12000/–रू0 की जमा की गयी थी। जो कि अनेको विस्थापितों की आज भी पंजीकरण धनराशि जमा है और वापस नहीं ली गयी है।

अतः कार्यकारिणी समिति निर्णय लेती है कि उक्त योजना में दुकान/भूखण्ड देकर विस्थापितो की जमा धनराशि समायोजित करते हुये वर्तमान सर्किल रेट पर प्राथमिकता से जिनकी धनराशि अभी तक जमा है उनको भूखण्ड/दुकान आवंटित कर दी जाये जिससे विस्थापितों का जीवन यापन चल सके और नगर निगम को आय भी हो सकें। आवटीयों को भूखण्ड काट कर दे दिया जाये दुकान का निर्माण स्वयं आवंटी करायेगा।

.... **जाँचोपरान्त अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।**

प्रस्ताव संख्या–112

श्रीमती निर्मला मिश्रा मा0 पार्षद वार्ड–27 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

विषय :— <u>वार्ड–27 चर्खी गेट पर पुस्तकालय के निर्माण के सम्बन्ध में।</u>

सादर अवगत कराना है कि मेरे यहॉ नानकारी में चर्खी गेट पर लगभग 500 वर्ग गज जमीन पड़ी है। जाने की रस्ता बहुत सकरी है। जिससे बहॉ पर पुस्तकालय बना दिया जाये तो नानकारी समस्त ''क्षेत्रीय वासियों'' का आई0आई0टी0 में जाने से निजात मिलेगीं।

मैं व समस्त क्षेत्रीय वासी आपके सदैव आभारी रहेगें।

.... सम्पत्ति विभाग से जॉंचोपरान्त अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

<u>प्रस्ताव संख्या–113</u>

श्री लियाकत अली , मा0 पार्षद वार्ड–71 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

आपको अवगत कराना है कि ईदगाह बकरमंडी के सामने स्थित देदीशाह कब्रस्तान जो नगर निगम के समक्ष आता है इसमें बरसात ठंड व गर्मी में कब्रस्तान के अन्दर पिछले हिस्से में वही पर छॉव नही है यहॉ पर आने वाली मय्यत (मिट्टी) मकं आने वालो लोगो के लिये बरसात ठंड व गर्मी से बचने को कोई साधन नहीं है इसलिये यहॉ पर 10X30 फुट की सीलेब पानी के लिये समरसेबल पम्प व बैठने के लिये कुर्सी बनाने के लिये माननीय महापौर जी एवं माननीय का कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत।

.... सन्दर्भित स्थल पर टीनशेड बनाये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>प्रस्ताव संख्या–114</u>

श्री महेन्द्र पाण्डेय (पप्पू) , मा0 पार्षद वार्ड–40,विष्णुपुरी –आजाद नगर उप सभापति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

आपसे निवेदन है कि कानपुर नगर निगम विद्यालय में लगभग 7 व 8 वर्षो से शिक्षिक व शिक्षकायें लगभग 5000 से 6000 हजार रूपये प्रतिमाह पर अध्यापन कार्य कर रही है जो आज के मंहगाई के दौर में बहुत कम है उतना तो शिक्षक व शिक्षिकाओं के विद्यालय आने–जाने में ही व्यय हो जाता है।

अतः माननीय आपसे अनुरोध है कि कानपुर नगर निगम विद्यालय में जो भी शिक्षिकायें एन0जी0ओ0 द्वारा प्रदत्त है उन सभी का मानदेय कम से कम 15000 हजार रूपये प्रतिमाह दिये जाने की अनुमति प्रदान करें।

.... पूर्व में सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी/मा0 सदन की बैठक की स्वीकृतोपरान्त अंशकालिक, आउटसोर्सिंग को भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

<u>प्रस्ताव संख्या–115</u>

श्री लियाकत अली , मा0 पार्षद वार्ड–71 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

आपको अवगत कराना है कि चमनगंज प्लाट 3 कोरीयाना चौराहा (झन्डे वाला चौराहा) पर दो राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी व 15 अगस्त यह दो पर्व मनाये जाते है वहा पर झन्डा रोहण के लिये बना झन्डा रोहड़ स्थल बहुत ही खराब स्थिति में है वहॉ पर राष्ट्रीय पर्व मनाने वाले स्थान का सुन्दरीकरण कराने को माननीय महापौर जी एवं माननीय कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत है।

.... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या–116

नगर आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित दिनांक 26.04.19 निगम द्वारा संचालित 04 वित्त विहीन मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में मान्टेसरी सेवा के सृजित पदों पर नियमित वेतनकम की शिक्षिकाओं को शासनादेश सं0– 3409/9–1–17–194 सा/16, दिनांक 04.01.2017 के अनुसार सातवें वेतन आयोग का लाभ दिनांक 01.01.2016 के सम्बन्ध में मा0 कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत :–

कानपुर नगर निगम द्वारा संचालित 04 वित्त विहीन मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में मान्टेसरी सेवा के सृजित पदों पर नियमित वेतनक्रम की शिक्षिकाओं को शासनादेश सं0– 3409/9–1–17–194 सा/16, दिनांक 04.01.2017 के अनुसार सातवें वेतन आयोग का लाभ दिनांक 01.01.2016 से प्रदान किये जाने सम्बन्धी मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव संख्या–92 में मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा दिनांक 08.10.2018 को दिये गये निर्देश के क्रम में इन विद्यालयों से प्राप्त आख्या के अनुसार मासिक व्ययभार रूपया 142615.00 , प्रतिवर्ष व्ययभार रूपया 1711380.00 तथा एरियर पर व्ययभार रूपया 4721770.00 मात्र आयेगा। उक्त के क्रम में शासनादेश दिनांक 04.01.2017 के अनुसार सातवें वेतन आयोग का लाभ दिनांक 01.01.2016 से निम्नवत् प्रदान किया जाना है :–

पदनाम	दिनांक 01.01.2016 से संशोधित
प्रधानाध्यापिका	9300–34800 ग्रेड पे 4800/– मैट्रिक्स लेबल 8 में
सहायक अध्यापिका प्रशिक्षित स्नातक एल0टी0ग्रेड	9300–34800 ग्रेड पे 4600/– मैट्रिक्स लेबल 7 में
सहायक अध्यापिका सी0टी0 नर्सरी	9300–34800 ग्रेड पे 4200/– मैट्रिक्स लेबल 6 में

अतः दिनांक 01.01.2016 से उपरोक्तानुसार सातवें वेतनमान का लाभ दिये जाने की स्वीकृति हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति/सदन के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत है।

.... **परीक्षणोंपरान्त अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।**

प्रस्ताव संख्या–117

श्रीमती निर्मला मिश्रा मा0 पार्षद वार्ड–27 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

विषय :– नानकारी वार्ड–27 आ0 52 गूवा गार्डेन माधवपुरम् आई0आई0टी0 सोसाइटी के पास ग्राम समाज जमीन पर बरातशाला या पार्क को कार्यकारिणी में पास कराने के सम्बन्ध में।

महोदया जी आ0 52 जुग्गी झोपड़ी पिछले दो साल के0डी0ए0 गिराया था अव फिर बस गया है।

क्षेत्रीय वासियों की मॉग पर बरातशाला या पार्क का निर्माण करा दिया जायें ताकि समस्त क्षेत्रवासियों को गरीब तबके के लोगों को राहत मिल सके।

.... **सम्बन्धित भूखण्ड की जॉचोपरान्त अगली कार्यकारिणी समिति में प्रस्तुत की जाये।**

प्रस्ताव संख्या–118

श्रीमती शशी साहू मा0 पार्षद वार्ड–81 ,कौशलपुरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

सादर अवगत कराना है कि जोन–5 वार्ड–81 कौशलपुरी में तीन स्थानों की सीवर लाईन घ्वस्त हो जाने के कारण सीवर का गन्दा पानी नालियों द्वारा बहता है जिससे लोगो को काफी दिक्कतो का सामना करना पड़ता है कृपया जनहित में अति शीघ्र सीवर लाईन डाले जाने के आदेश देने की कृपा करें।

1. सर्वधर्म चौराहा दर्शनपुरवा से ओम नगर तिराहा तक।
2. पता 119/533 से साई मन्दिर दर्शनपुरवा तक।
3. पता 118/576 कौशलपुरी डा0 कुलवन्त से सन्त नगर चौराहा तक।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में सचिव, जलकल विभाग, नगर निगम कानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना:–

विषय :– नगर निगम मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 04.09.2019 हेतु संशोधित कार्य–सूची के प्रस्ताव संख्या–20 का उत्तर के सम्बन्ध में।

आख्या निम्नवत् है :–

1. सर्वधर्म चौराहा दर्शनपुरवा से ओम नगर तिराहा तक लगभग 170 मीटर 450 एम0एम0 व्यास की सीवर लाइन डालकर सीवर समस्या का स्थायी समाधान किया जा सकता है।
2. म0नं0 119/533 से श्याम भवन तक लगभग 100 मीटर सीवर लाइन डालकर समस्या का समाधान किया जा सकता है।
3. कौशलपुरी 118/576 से सन्तनगर तक लगभग 100 मीटर सीवर लाइन डालकर समस्या का समाधान किया जा सकता है।

अतः अवगत कराना है कि उक्त कार्यो को कराये जाने हेतु उ0प्र0 जल निगम को पत्र प्रेषित कर दिया गया है।

नगर आयुक्त ने कहा कि जल निगम के अधिकारी त्वरित रूप से स्थल देखकर कार्यवाही कराये।

.... जल निगम के अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रस्ताव संख्या–119

नगर आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित दिनांक 29.07.19 एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठाकिंत **वार्ड सं0 49 भवन सं0 106/104 स्थित नवीन बरातशाला एवं वार्ड सं0 59 भवन सं0 104/74 ए स्थित बरातशाला बृजभूषण स्कूल के बगल में**
किराया एवं शर्ते कार्यकारिणी/सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

वार्ड सं0 49 भवन सं0 106/104 स्थित नवीन बरातशाला किराया एवं शर्ते निम्नवत् है:–

1. किराया 20,000.00 रू0 प्रतिदिन
2. जमानत धनराशि 5,000 रू0 नगद नगर निगम कानपुर के नाम देय होगा जोकि टूट–फूट न होने की दशा में एवं निर्धारित समय के अन्दर खाली करने पर सम्बन्धि को वापस कर दिया जायेगा अन्यथा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
3. जी0एस0टी0 एवं अन्य टैक्स अलग से देय होगे।
4. विद्युत उपकरण शुल्क 2,000.00 रू0 प्रतिदिन देय होगा।
5. सफाई कार्य 1200.00 रू0 प्रतिदिन देय होगा।
6. किसी भी प्रकार का धूम्रपान व मदिरा का प्रयोग निषेध रहेगा।

वार्ड सं0 59 भवन सं0 104/74 ए स्थित बरातशाला बृजभूषण स्कूल के बगल में प्रस्तावित किराया निम्नवत् है। शर्ते पूर्व की भॉति एथावत रहेगी:–

1. किराया 10,000.00 रू0 प्रतिदिन

2. सफाई कार्य 600.00 रू0 देय होगा।

3. विद्युत उपकरण शुल्क 15,00.00 रू0 देय होगा।

4. जमानत धनराशि 2,000 रू0 नगद नगर निगम कानपुर के नाम देय होगा जोकि टूट–फूट न होने की दशा में सम्बन्धित को वापस कर दिया जायेगा अन्यथा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

5. जी0एस0टी0 एवं अन्य टैक्स अलग से देय होगे।

6. किसी भी प्रकार का धूम्रपान व मदिरा का प्रयोग निषेध रहेगा।

7. जो कर्मचारी नियुक्त किये जायेगे उसी आय से मानदेय देय होगा।

श्री हाजी सुहैल ने कहा कि वार्ड–59 की जाँच करा ली जाये। वहाँ पर नई बारातशाला बनवाई गई है, वह अभी से गिरने की स्थिति में है।

नगर आयुक्त ने मुख्य अभियन्ता को निर्देशित किया कि सन्दर्भित बारातशाला के स्ट्रक्चर की जाँच कराकर जाँच आख्य शीघ्र उपलब्ध कराये।

.... वार्ड सं0 49 भवन सं0 106/104 स्थित नवीन बरातशाला का किराया उपरोक्तानुसार किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी एवं भवन सं0 104/74 ए स्थित बरातशाला की वर्तमान स्थिति की जॉच आख्या के साथ अगली कार्यकारिणी समिति में प्रस्तुत किया जाये।

प्रस्ताव संख्या–120

श्रीमती नेहा यादव , मा0 पार्षद वार्ड–43 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

विषय :– नगर निगम की अपनी जमीन पर दुकान बनाने हेतु प्रस्ताव।

मेरे वार्ड नं0 43 नवाबगंज में नगर निगम द्वारा पूर्व में दुकाने लगाने हेतु लोई के पाईप लगाकर स्थान दिये गये थे। आपको अवगत कराना है कि नवाबगंज सब्जी मण्डी मकान नं0 1/1 के पास से एच0बी0टी0यू0 गेट तक नगर निगम की खाली जगर पड़ी हुई है तथा भिण्डा शिवाला वन विभाग कालोनी के पास से एच0बी0टी0यू0 गेट तक काफी जगह पड़ी हुई जो नगर निगम की स्वामित्व की है। कृपया इन स्थानों पर दुकाने उपलब्ध कराने से नगर निगम को करोड़ों रूपये की आय होगी तथा प्रतिवर्ष कई लाख रूपये टैक्स आदि से राजस्व की बढ़ोत्तरी होगी। कृपया अतिशीघ्र दुकानों का प्रस्ताव कराकर यह कार्य करवाने की कृपा करें।

.... परीक्षणोपरान्त अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

प्रस्ताव संख्या–121

श्री मदन बाबू (एडवोकेट) , मा0 पार्षद वार्ड–13 पुराना कानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

विषय :– मन्नीपुरवा से रामेश्वर घाट तक का डाट नाला बहुत ही पुराना व कई जगह ध्वस्त हो चुका हो जिसको बनाने व सफाई कराने के सम्बन्ध में।

वार्ड नं0–13 पुराना कानपुर जोन–4 पुराना कानपुर जोन–4 के अर्न्तगत एक बहुत बड़ा नाला (डाट) है जो अंग्रेजो के समय का वना नाला है जो कई जगह–जगह से ध्वस्त है जिसके कारण कई दुर्घटना घट चुकी है।

उक्त डाट नाला का सुधार कार्य होना आवश्यक है जिसे कराने की कृपा करें। उक्त कार्य जनहित में अति आवश्यक है।

.... जल निगम को पत्र लिख कर 15 दिन के अन्दर स्थिति से अवगत करायें जाने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रस्ताव संख्या–122

नगर आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित दिनांक 12.06.19 निगम द्वारा जोन–1 सीमार्न्तगत नवीन मार्केट स्थित दुकानों/शौचालयों की दीवारों पर आवंटित शोकेस को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाने सम्बन्धी कार्यकारिणी प्रस्ताव :–

प्रस्ताव

उपाध्यक्ष ,कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पत्र दिनांक 14.03.2019 में अवगत कराया गया है कि आवंटियों द्वारा शोकेस के रूप में न करते हुए दुकान का स्वरूप दे दिया गया है ,जिसके कारण शौचालयों का रास्ता आम जनमानस के आवागमन हेतु अवरूद्ध हो गया है तथा इनका आवंटन निरस्त कर दिया जाय। तदक्रम में भौतिक सत्यापन एवं कार्यालय अभिलेखो के आधार पर कार्यालय आख्या दिनांक 22.03.2019 के अनुसार समस्त शोकेसों के आवंटियों द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का उल्लघंन एवं जनमानस का आवागमन अवरूद्ध होना पाया गया । चूँकि उक्त आवंटन का निर्णय मा0 कार्यकारिणी मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा पूर्व में दिनांक 25.04.72 को लिया गया है। अतः नवीन मार्केट स्थित 36 शोकेसों को निरस्त किये जाने का प्रस्ताव निम्नवत् प्रस्तुत है।

जोन–1 सीमार्न्तगत नवीन मार्केट स्थित दुकानों/शौचालयों की दीवारों पर आवंटित शोकेस को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाना।

श्री हाजी सुहैल अहमद ने कहा कि नवीन मार्केट में शौचालय की दीवारों पर 09 शोकेश है, जबकि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 36 शोकेसों के निरस्तीकरण हेतु लिखा गया है। महोदय मैं यह अवगत कराना चाहता हूँ कि कानपुर विकास प्राधिकरण सिर्फ कार्यदायी संस्था है, यदि इनका कार्य पूर्ण हो गया हो तो आप हमें हस्तगत करें, तो हम वहाँ पर अपने स्तर से कार्यवाही करेंगे।

जोनल अधिकारी जोन–1 ने अवगत कराया कि 20 शोकेस शौचालय व उसके आस–पास है। शोकेस हेतु 15 इंच की अनुमति दी गई थी, किन्तु आवंटियों द्वारा उसे दुकानों का रूप दे दिया गया है।

श्री हाजी सुहैल अहमद ने कहा कि नवीन मार्केट में ऐसे दुकानदारों को चिन्हित कर उन्हें नोटिस देकर जुर्माना लगा दिया जाये और उन्हें शोकेस हेतु जितनी जगह आवंटित है उसी पर कार्य करने हेतु व्यवस्था कराई जाये। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि नगर निगम कानपुर विकास प्राधिकरण से अपनी जमीनों को अपने हैण्डओवर लें।

सभापति ने कहा कि नवीन मार्केट में जो दुकानों के अन्दर अण्डरग्राउण्ड खोदकर अनाधिकृत रूप से जो कार्य कराया जा रहा है, क्या उनके द्वारा उसकी अनुमति नगर निगम से ली गई है।

नगर आयुक्त ने कहा कि शौचालय की दीवार वाले शोकेस हटाना आवश्यक है, इसे शौचालय में जाने वाली महिलाओं को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। शौचालय की दीवारों पर बने ऐसे शोकेसों का आवंटन निरस्त किया जाना उचित होगा।

श्री हाजी सुहैल अहमद ने कहा कि सुरक्षा के दृष्टिगत उन्हीं शोकेस वालों को केयर टेकर भी बनाया जा सकता है। यदि उचित हो तो शौचालय की दीवारों पर बने शोकेसों की जगह कम कर दिया जाये।

.... **प्रश्नगत पर कानपुर विकास प्राधिकरण से विस्तृत आख्या प्राप्त करते हुए अगली कार्यकारिणी समिति में प्रस्तुत किया जाये।**

प्रस्ताव संख्या–123

नगर आयुक्त महोदय कार्यालय पत्रांक 461/3/प दिनांक 10.07.2019 के मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्ताव

कानपुर नगर निगम सीमान्तर्गत आने वाले प्रेक्षागृहों से नगर निगम अधिनियम की धारा–172 की उपधारा(2)(झ) के अधीन विभिन्न प्रेक्षागृहों से प्रति शो रू 20/– कर दर से शो टैक्स विगत कई वर्षो से लिया जा रहा है,और उसमे कोई बढोत्तरी नही की गई है।

मा0सदन की बैठक दिनांक 05.12.2018 के प्रस्ताव संख्या–42 द्वारा शो–टैक्स रू0 20/– के स्थान पर मल्टी प्लेक्स, वातानुकुलित तथा साधारण सिनेमाघरों की दरें क्रमशः रू0 600/–, रू0 300/– तथा रू0 100/– प्रति शो नियत की गई थी, जिस पर कानपुर सिनेमा एक्जीवीशन फेण्डरेशन, कानपुर के पदाधिकारियों द्वारा मा0 महापौर जी को सम्बोधित पत्र में दरों की वृद्धि पर दआपत्ति प्रस्तुत की

गई। मा0 महापौर महोदय द्वारा कानपुर सिनेमा एक्जीवीशन फेण्डरेशन, कानपुर के सदस्यों के साथ बैठक की गई, जिसमें विचार–विमर्श उपरान्त मल्टी प्लेक्स, वातानुकुलित एवं साधारण सिनेमाधरों की संशोधित दरें क्रमशः रू0 100/–,रू0 40/– तथारू0 40/– प्रति शो पर सहमति बनी है।

अतः मा0 सदन के पूर्व प्रस्ताव एवं कानपुर सिनेमा एक्जीवीशन फेण्डरेशन, कानपुर द्वारा बैठक में नियत उपरोक्त दरों को मा0 कार्यकारिणी समिति के सम्मुख अनुमोदनार्थ /स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

.... **स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या–124

श्री जय प्रकाश पाल मा0 पार्षद वार्ड–72 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

प्रस्ताव नं0–1:– वार्ड–2 में 66E/25 दबौली के सामने पार्क बना हुआ है ,जिसकी देखरेख क्षेत्र के नागरिकगण करते है। क्षेत्र के सम्मानित नागरिक प्रदीप द्विवेदी का निधन हो गया था। क्षेत्र के नागरिको की सर्व सम्मति से पार्क का नाम ''प्रदीप वाटिका'' के नाम से रखना चाहते है। कृपया 66 E/25 के सामने पार्क का नामकरण हेतु प्रस्ताव सम्मलित करने का कष्ट करें।

.... **यदि सन्दर्भित पार्क का पूर्व से कोई नामकरण न हो तो पार्क का नामकरण ''प्रदीप वाटिका'' के नाम से किये जाने हेतु यथानियम स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव नं0–2:– अवगत करना चाहता हूँ कि हम सभी पार्षदो को नाली,गली टेप आदि समस्याओं आये दिन नगर निगम मुख्यालय के चक्कर काटने पड़ते है जिनका त्वरित निस्तारण नहीं हो पाता है इसके लिये हम सभी पार्षद गण चाहते है कि जोनल जोनल अधिकारी को 3 लाख रूपये तक का कार्य कराने हेतु का अधिकार दिया जाए।

नगर आयुक्त ने कहा कि इसका वित्तीय अधिकार मुझमें निहित है और मैं समय–समय पर आवश्यकतानुसार वित्तीय शक्ति प्रदान करता रहता हूँ।

.... **नगर निगम अधिनियम में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जाये।**

प्रस्ताव संख्या–125

नगर आयुक्त के पत्र सं0 डी/77/अ0अ0–4 दिनांक 29.05.19 एवं डी/990/ अ0अ0–4 दिनांक 08.03.19 को नगर निगम अधिनियम की धारा 132(5) के अर्न्तगत कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

अभियन्त्रण खण्ड–4

मा0 कार्यकारिणी के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित

कम सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा धनांक	दर	ठेकेदार/ फर्म का नाम
1	जोन–4 वार्ड 97 के अन्तर्गत कारी याकूब मैदान एवं जोगियाना मैदान की आन्तरिक गलियों का सी0सी0 द्वारा सुधार कार्य।	2305001	9,99,066.00	8,71,061.00	आगणन दर से 2. 35 प्रतिशत निम्न	मे0 फखरे आलम
2	जोन–4 वार्ड 61 के अन्तर्गत कम्पनी बाग चौराहा पर स्थित डॉ0 अम्बेडकर प्रतिमा के ऊपर छतरी का निर्माण कार्य।	2305004	8,00,216.00	6,96,617.00	आगणन दर से 2. 50 प्रतिशत निम्न	मे0 अनूप कुमार श्रीवास्तव

.... **पढ़ा गया।**

<u>प्रस्ताव संख्या–126</u>

श्री महेन्द्र पाण्डेय (पप्पू) , मा0 पार्षद वार्ड–40,विष्णुपुरी –आजाद नगर उप सभापति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

आपसे निवेदन कराते हुये अवगत कराना है कि नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग मे कार्यरत मुख्य सफाई एवं खादय निरीक्षक को प्रतिदिन 01 लीटर पेट्रोल दिया जाता है तो समस्त राजस्व निरीक्षको तथा नायब मोहर्रिरो (कर संग्रहकर्ता) को आधा लीटर पेट्रोल देने की कृपा करें।

नगर आयुक्त ने कहा कि शासनादेशानुसार इनकों साइकिल व मोटरसाईकिल भत्ता दिया जा रहा है, इसका कोई औचित्य प्रतीत नही होता है।
सभापति ने कहा कि जिनको पेट्रोल दिया जा रहा है, उसे भी बन्द किया जाये।

................स्वास्थ्य विभाग में पूर्व से निर्धारित व्यवस्था के तहत कार्यरत सफ ाई एवं खाद्य निरीक्षको को प्रतिदिन दिया जा रहा 01 लीटर पेट्रोल एवं प्रश्नगत प्रस्ताव पर राजस्व निरीक्षको को पेट्रोल देने दोनों को निरस्त किया जाता है।

<u>प्रस्ताव संख्या–127</u>

श्री राम गोपाल भटनागर संगठन मन्त्री एम0आई0जी0–59 कैलाश विहार आवास विकास एक,कल्यानपुर कानपुर का प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

विषय :–''दधीचि पार्क'' संख्या एक आवास विकास एक कैलाश विहार ,कल्यानपुर कानपुर –नामकरण के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त पार्क के नामकरण में मुख्य मन्त्री उ0प्र0 का सन्दर्भ लै कि ''हिन्दुस्तान'' पेपर दिनांक 27.07.2018 शहीदो के नाम पर बने स्मृति पार्क : योगी।

हम लोगों ने भी देहदान–नेत्रदान रजि0नं0 648–2010 में किया जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

आप लोगो से आशा करते है कि उपरोक्त पार्क संख्या–एक का नाम ''दधीचि पार्क'' रखेगें।

.... प्रश्नगत पार्क का नामकरण ''दधीचि पार्क'' किये जाने हेतु यथानियम स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>प्रस्ताव संख्या–128</u>

श्री गिरीश चन्द्रा मा0 पार्षद वार्ड–07 एवं अन्य 09 पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

सविनय निवेदन करना है कि नगर निगम वार्ड–07 में इन्द्रा पार्क का नाम राम मानस पार्क करने की कृपा करें।

.... **चूंकि पूर्व से ही प्रश्नगत पार्क का नामकरण है, अतएव प्रस्ताव निरस्त किया गया।**

प्रस्ताव संख्या –129

श्री अशोक कुमार पाल मा0 पार्षद वार्ड–36 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

विषय :– टेबुल प्रस्ताव स्वीकृति हेतु।

आपके सम्मुख टेबुल प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ इस प्रस्ताव के माध्यम से मॉग करता हूँ कि वार्ड–36 के अर्न्तगत नगर निगम की भूमि वाले बाकरगंज वाजार जोकि बहुत ही प्राचीन बाजार है और इस पर नगर निगम का स्वामित्व है और इस बाजार में हजारों विभिन्न तरह की दुकाने लगती है और इन पर किसी भी प्रकार का राजस्व न मिलने से विभाग को राजस्व की हानि हो रही है,जबकि पूर्व में विभाग द्वारा तहवाजारी के माध्यम से राजस्व आता था।

आपसे निवेदन है कि बाकंर गंज बाजार को विभाग द्वारा आधुनिक मार्केट व बाजार को नगर निगम के राजस्व को बढ़ाने वाली इस मॉग के प्रस्ताव को स्वीकृत कर कार्य कराने की कृपा करें।

नगर आयुक्त ने अधिशाषी अभियन्ता जोन–3 को सन्दर्भित स्थल का परीक्षण करते हुये मार्केट का निर्माण कराये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

.... **परीक्षणोपरान्त अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।**

प्रस्ताव संख्या –130

श्री महेन्द्र पाण्डेय (पप्पू) , मा0 पार्षद वार्ड–40,विष्णुपुरी –आजाद नगर उप सभापति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

विषय :–नगर निगम कानपुर में आउटसोर्सिग के माध्यम से कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटर/एकाउन्टेन्ट के वेतन की बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है कि कम्प्यूटर आपरेटर/एकाउन्टेन्ट के पद पर लगभग 5 वर्षो से रू–9045/– वेतन पर नगर निगम कानपुर में पूर्ण निष्ठा के साथ अपने कार्यो एवं दायित्वों को निर्वहन कर रहे है। विगत 5 वर्षो से हुई मंहगाई में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये रू–8725/–(खाते में प्राप्त) में परिवार का भरण–पोषण करने में असुविधा हो रही है। प्रमुख सचिव,समाज कल्याण अनुभाग–3 में निदेशक समाज कल्याण उ0 प्र0 लखनऊ को आदेश सं0–957/26–02–2019 दिनांक 31 मई 2019 द्वारा समाज कल्याण विभाग में सेवा प्रदाता (आउटसोर्सिग) के माध्यम से कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटरों को रू–9801/–प्रतिमाह दिये जाने के आदेश निर्गत किए है,छायाप्रति संलग्न है।

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि नगर निगम कानपुर में भी समाज कल्याण विभाग की भॉति सेवा प्रदाता (आउटसोर्सिग) के माध्यम से कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटरों/एकाउन्टेन्ट को भी रू–18000/– प्रतिमाह भुगतान करने हेतु आदेश निर्गत करने का कष्ट करें,जिससे पूर्ण निष्ठा के साथ कार्यो के निर्वहन के साथ–साथ परिवाह के दायित्वों का निर्वहन कर सके।

.... मुख्य नगर लेखा परीक्षक के परीक्षणोपरान्त माननीय महापौर जी जी के माध्यम से अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

<u>प्रस्ताव संख्या –131</u>

नगर आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित दिनांक 16.08.19 कार्यालय पत्र संख्या आर/282/प्र0अ0(वर्क0)/एफ/19–20 दिनांक 17.08.2019 श्री राजेश सिंह को कैंसर के सम्बन्ध में मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

प्रस्ताव

वर्कशाप विभाग में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत श्री राजेश सिंह को कैंसर जैसी गम्भीर बीमारी के इलाज हेतु रूपया 6.00 लाख मात्र चिकित्सा अग्रिम के रूप में भुगतान की स्वीकृति/अनुमोदन नगर आयुक्त/मा0 महापौर जी द्वारा क्रमशः दिनांक 16.08.19 को प्रदान की गयी है।

मा0 कार्यकारिणी समिति को सूचनार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

.... स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>प्रस्ताव संख्या –132</u>

श्रीमती नमिता मिश्रा मा0 पार्षद वार्ड–37 एवं अन्य 05 पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

<u>विषय</u> :– <u>मं0सं0 111/42 (अमर जवान चौक) से 111/25 तक के मार्ग का कान्तिवीर सुरेन्द्र पाण्डेय मार्ग मार्ग नामकरण हेतु।</u>

आपको सादर अवगत कराना है कि मेरे वार्ड में 111/38 भवन में स्वतन्त्रता संग्राम का सेनानी परिवार रहता है। क्रांतिवीर सुरेन्द्र जी से लोग ज्यादा नहीं परिचित है। जब कि ये विभिन्न गतिविधियों जैसे कि लाहौर षड़यन्त्र के में सरदार भगत जी के साथ भी शामिल थे इनका वृत्तचित संलग्न है ऐसे महापुरूष हमारे आदर्श है हम भारतवासी इनके ऋणी है इन लोगों के कारण हमें आजादी मिली है। अतः जनहित में इस मार्ग का नाम क्रान्तिवीर सुरेन्द्र पाण्डेय मार्ग किया जायें।

.... परीक्षणोपरान्त अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

<u>प्रस्ताव संख्या –133</u>

श्री शिवम दीक्षित (एडवोकेट) मा0 पार्षद वार्ड–106 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि नगर निगम धनकुट्टी में नगर निगम द्वारा संचालित जज्जा बच्चा अस्पताल किन्ही परिस्थितिवश विगत वर्षो से बन्द पड़ा है । जबकि नगर निगम द्वारा लगभग रू–1,00,000/–प्रतिमाह वेनत मद में कार्यरत फार्मासिस्ट आया,चपरासी को दे रहा है, वहॉ न तो कोई कर्मचारी मिलता है और न ही साफ सफाई होती है। क्षेत्रीय जनता लगातार उक्त अस्पताल को चालू कराने हेतु मेरे ऊपर दबाव बनाये हुये है और मै निरंतर नगर निगम,माननीय मुख्यमत्री महोदय को स्थिति से अवगत कराते हुये अस्पताल संचालित करने की मांग करता आ रहा हूँ। अतः कार्यकारिणी प्रस्ताव में निम्न बातो को सम्मिलित करते हुये ध्वनि मत से पारित कर जनहित जनहित निर्णय लेने की कृपा करें

1– नगर निगम द्वारा अवस्थापना निधि से जर्जर बिल्डिंग का जीवर्णोधार करा कर समुदायित स्वास्थ्य केन्द्र को निर्मित कराने का कष्ट करें।

2– नगर निगम द्वारा बजट ना होने पर अस्पताल संचालन में असुविधा होने पर स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश शासन को ईमारत निर्मित कर हस्तानान्तरित करने का कष्ट करने का कष्ट करें।

.... **बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की जॉच कराकर अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।**

<u>प्रस्ताव संख्या –134</u>

श्री राशिद आरफी मा0 पार्षद वार्ड–83 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

आपको अवगत कराना है कि चीना पार्क पानी टंकी के पास नगर निगम की लगभग 40 गज वर्ग जमीन पड़ी है उक्त जमीन पर अराजक तत्वो की नियत है अवैध कब्जा करने की वर्तमान समय मे उक्त खाली पड़ी जमीन पर रात में जुआं व शराब के प्रयोग में अराजक तत्व लाते है।

वार्ड–83 दलेलपुरवा से जन प्रतिनिधि होने नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि नगर निगम की उक्त जमीन को सुरक्षित रखें मेरा कार्यकारिणी के समक्ष यह प्रस्ताव है कि उक्त खाली पड़ी जमीन पर गृह कर,जलकर जमा करने का वार्ड में कार्यालय तथा वार्ड 83 दलेलपुरवा के समस्त गृह स्वामियों को गृह कर,जलकर जमा करने किसी प्रकार की असुविधा न हो साथ ही पार्षद माध्यम के कार्यालय से जन समस्याओं का निवारण हो सकें।

.... **परीक्षणोपरान्त अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।**

<u>प्रस्ताव संख्या –135</u>

श्री सुनील कनौजिया मा0 पार्षद वार्ड–14 एवं 03 अन्य पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि पूर्व डिप्टी मेयर स्व0 पं0 चेतना शर्मा जो कि एम ब्लाक वार्ड–14 के अर्न्तगत निवास करती थी व 2002 तक नगर निगम की जन प्रतिनिधि भी रही थी।

अतः मा0 कार्यकारिणी की मॉग है कि हनुमान मंदिर के सामने एम ब्लाक वाले मार्ग का नाम पं0 चेतना शर्मा मार्ग करने की कृपा करें।

.... प्रश्नगत पार्क का नामकरण ''पं0 चेतना शर्मा'' मार्ग किये जाने हेतु यथानियम स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या –136

श्री महेन्द्र पाण्डेय (पप्पू) , मा0 पार्षद वार्ड–40,विष्णुपुरी –आजाद नगर उप सभापति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

निवेदन है कि वार्ड नं0 40 विष्णुपुरी के अर्न्तगत दीपचन्द्र पार्क है जिसमें कुऐं के पास एक और छोटी पार्क है जिसका कोई भी नामकरण नहीं है।

माननीय आपसे निवेदन है कि उक्त पार्क का नाम ''**विष्णुपुरी भगवान परशुराम पार्क**'' करने की कृपा करें जिससे समिति के सदस्यगण उसकी देख–रेख व सुन्दरीकरण कर सकें।

.... सन्दर्भित पार्क का नामकरण ''विष्णुपुरी भगवान परशुराम पार्क'' किये जाने हेतु यथानियम स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या 137

नगर आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित दिनांक 21.08.19 को सूचना एवं प्रौद्यौगिकी (आई0टी0) विभाग के पदधारको का पारिश्रामिक में वृद्धि की अनुमति हेतु प्रस्ताव कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत।

नगर निगम,कानपुर में विभागीय कार्यो के अन्तर्गत सूचना एवं प्रौद्यौगिकी (आई0टी0) के महत्वपूर्ण कार्यो के सफल एवं सुचारू संपादन हेतु सूचना एवं प्रौद्यौगिकी विभाग स्थापित किया गया । इस संदर्भ में यह भी अवगत कराना है कि नगर निगम–कानपुर में आई0टी0 विभाग के पद सृजित न होने के कारण यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के पत्र सं0– यू0पी0 सी0एल0: 2315 दिनांक–24 अगस्त,2011 के आधार पर आई0टी0 विभाग के पदधारको सेवाप्रदाता के माध्यम से रखे जाने एवं उनको दिए जाने वाले पारिश्रमिक का निम्नवत् निर्धारण किया गया है :–

कमांक	पदनाम	मानदेय
1	डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर	27500

2	नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर	18000
3	वेब डेवलपर	18000
4	जी0आई0एस0 सहायक	12000

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास अनुभाग–5 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–4245/नौ–5–12–6एन जी आर बी ए /2012टीसी दिनांक–13 सितम्बर,2012 के अन्तर्गत प्लानिग एण्ड नालेजमैनेजमेंट यूनिट के अन्तर्गत असिस्टेंट जी0आई0एस0 विशेषज्ञ , जिसका पारिश्रमिक/मानदेय प्रतिमाह–40,000 निर्धारित किया गया है के आधार उपरोक्त पद पर सेवाप्रदाता के माध्यम से कार्य किए जाने हेतु कर्मी को रखा गया है।

यहॉ यह उल्लेखनीय है कि नगर निगम ,कानपुर में उपरोक्त पदो पर मानदेय का निर्धारण वर्ष 2011–12 में किया गया है । नगर निगम में उक्त पदो पर कार्य किए जाने हेतु तकनीकी रूप से कुशल/दक्ष कर्मियो द्वारा वर्ष 2011–12 से अनवरत् परिश्रम से कार्य किया जा रहा है । उपरोक्त 2011–12 से अब तक की अवधि में उपरोक्त पदो के पारिश्रमिक में किसी भी प्रकार की काई वृद्धि नही की गई है जबकि समय–समय पर श्रमायुक्त विभाग द्वारा अन्य विभिन्न प्रकार के पदो के पारिश्रमिक में वृद्धि की जाती रही है।

अतः नगर निगम कार्यहित में एवं विभाग के तकनीकी कार्यो के सफल एवं सुचारू सम्पादन हेतु उक्त पदो पर मानवीय आधार एवं कार्यकुशलता के परिपेक्ष्य में पारिश्रमिक में वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव निम्नवत् है :–

क	पदनाम	वर्तमान मानदेय	प्रस्तावित/वृद्धि करने पर दिया जाने वाला पारिश्रमिक
1	जी0आई0एस0 एक्सपर्ट	40000	50,000 प्रतिमाह
2	डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर	27500	35,000 प्रतिमाह
3	नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर	18000	28,000 प्रतिमाह
4	वेब डेवलपर	18000	28,000 प्रतिमाह
5	जी0आई0एस0 सहायक	12000	18,000 प्रतिमाह

प्रश्नगत प्रस्ताव इस आशय से प्रस्तुत है कि उपर्युक्त संदर्भित आउटसोर्स के पदो/कार्मिक को दिए जाने वाले मानदेय में गत 07 वर्षो से पारिश्रमिक में कोई वृद्धि न होने के परिपेक्ष्य में उक्त प्रस्तावित आउटसोर्स पदो पर कार्य कर रहे कर्मियों के पारिश्रमिक में वृद्धि किए जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ /अग्रिम आदेशार्थ प्रस्तुत है।

.... **मुख्य नगर लेखा परीक्षक के परीक्षणोपरान्त माननीय महापौर जी के माध्यम से अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।**

प्रस्ताव संख्या –138

मा0 महापौर जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव –01 मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

संज्ञान में आया है कि वित्तीय वर्ष 2007–08 के पश्चात् नगर निगम की परिसम्पत्तियों का पुनः सर्वेक्षण नगर निगम, कानपुर द्वारा भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी0आई0एस0) सर्वे कराया जा रहा है। जी0आई0एस0 सर्वे के माध्यम से गृह एवं व्यावसायिक सम्पत्तियों का भवनो/उद्योगो का कर निर्धारण किया जा सकेगा। परिसम्पत्तियों के चिन्हांकन नक्शा के साथ स्थलीय नक्शा में छाया चित्र भी संलग्न कराया जायेगा।

उपरोक्त प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सामान्य कर/व्यावसायिक कर निर्धारण हेतु विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

.... **शीघ्र प्रभावी कार्यवाही हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या–139

मा0 महापौर जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव –02 मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

नगर निगम सीमान्तर्गत औद्योगिक स्थानों/व्यावसायिक स्थानों/मनोरंजन स्थलों/ बैंक/सरकारी/अर्द्धसरकारी/निजी कार्यालयों के आस–पास अवैध पार्किंग स्टैण्ड संचालित होने की सूचना प्राप्त होती रहती है, जिसके कारण यातायात अवरूद्ध होने के साथ–साथ पार्किंग ठेकेदार की अभद्रता का भी सामना करना पड़ता है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में नगर निगम सीमान्तर्गत जहॉ भी औद्योगिक स्थानों/व्यावसायिक स्थानों/मनोरंजन स्थलों/बैंक/सरकारी/अर्द्धसरकारी/निजी कार्यालयों के आस–पास अवैध पार्किंग स्टैण्ड संचालित होते पाये जाने पर सम्बन्धित व्यक्ति/ठेकेदार से रू0 10,000/– (रू0 दस हजार का जुर्माना) अर्थदण्ड वसूला जाये, साथ ही उक्त अर्थदण्ड पर सुनवाई का अधिकार मा0 महापौर/नगर आयुक्त में निहित होगा।

तद्नुसार उक्त प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

सभापति ने कहा कि यह जानकारी कौन देगा कि किस ठेकेदार को ठेका आवंटित है और किसको नही ?

नगर आयुक्त ने कहा कि स्टैण्ड के ठेकों की पूरी जानकारी जोनल अधिकारी के पास होती है।

उप सभापति ने कहा कि कानपुर महानगर के अन्तर्गत जितने भी स्टैण्ड चल रहे है उस स्थल पर बोर्ड लगवाया जाये कि स्टैण्ड का स्थल कहॉं से कहॉं तक है और उसमें वाहन की दरों को भी प्रदर्शित किया जाये।

नगर आयुक्त ने सभी जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह अपने–अपने जोनो में वाहन स्टैण्डों पर स्थल की सीमा, वाहन की दरों के साथ शिकायत हेतु नम्बर को प्रदर्शित करते हुये बोर्ड लगवाया जाना सुनिश्चित करे।

.... **कानपुर महानगर के अन्तर्गत नगर निगम के पार्किंग स्थलों पर स्थल की सीमा, वाहन की दरों के साथ शिकायत हेतु नम्बर को प्रदर्शित करते हुये बोर्ड लगवाये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या–140

मा0 महापौर जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव –03 मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली विज्ञापन विभागा का प्रकरण लंबित होने के कारण वित्तीय वर्ष 2016–17 से विज्ञापन शुल्क के रूप में नगर निगम, कानपुर को को कोई धन प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि अवैध विज्ञापन से पूरा शहर पटा पड़ा है।

अतएव नगर निगम, कानपुर के राजस्व हित में अवैध विज्ञापन पटो/क्यास्क इत्यादि को तत्कल हटवाने एवं सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सियों से प्रतिदिन रू0 500/– (रू0 पॉच सौ प्रतिदिन) अर्थदण्ड वसूल किये जाने का प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

नगर आयुक्त ने कहा कि संसाधन तो नगर निगम में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे है। क्या सभी जोनल अधिकारियों ने विज्ञापन पटों पर नं0 व वैद्यता तिथि को दर्शाया है, यदि नही तो क्यों ? प्रदेश में सभी स्थानों पर रात्रि में अवैध होर्डिंग्स हटवाई जाती है और यहाँ पर दिन में। सभी जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वैध होर्डिंग्स पर नम्बर, स्थल व वैधता की अवधि को एक सप्ताह के अन्दर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें।

.... **सभी जोनल अधिकारी वैध होर्डिंग्स पर नम्बर, स्थल व वैधता की अवधि को एक सप्ताह के अन्दर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें, अवैध होर्डिंग्स पकड़े जाने पर दायित्व निर्धारण करते हुए सम्बन्धित पर कार्यवाही की जाये।**

प्रस्ताव संख्या–141

श्री अनूप कुमार शुक्ला,मा0 पार्षद,सदस्य कार्यकारिणी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

<u>मा0 कार्यकारिणी समिति हेतु प्रस्ताव</u>

कानपुर नगर निगम सीमान्तर्गत निवासियों को दिनानुदिन पेयजल की भीषण समस्या का सामना का करना पड़ रहा है। समाचार पत्रों /नागरिको से प्रतिदिन सीवर युक्त/गन्दा पेयजल सप्लाई में आने खबरे/शिकायते प्राप्त होती रहती है।

अतएव कानपुर नंगर निगम सीमान्तर्गत सस्ता/ निर्मल जल जनमानस को उपलब्ध कराये जाने हेतु माटी सेवा संस्थान (एन0जी0ओ0) को 20 स्थलों पर आर0 ओ0 प्लान्ट लगाये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के विचारार्थ/ स्वीकृतार्थ अग्रसारित करने का कष्ट करें। माटी सेवा संस्थान (एन0जी0ओ0) एक नान प्रोफिटेबल संस्था है। जिसे नगर निगम, कानपुर की सभी सेवा शर्ते मान्य होंगी।

नगर आयुक्त ने कहा कि प्रस्ताव में कोई स्थल चिन्हित नही है। पूर्व से कई स्थानों पर वाटर ए0टी0एम0 संचालित है।

सभापति ने महाप्रबन्धक जलकल को निर्देशित किया कि उक्त कार्य हेतु स्थल का चयन कर नियम व शर्तो सहित निविदा करा ली जाये।

.... **सन्दर्भित के स्थल चयन पर नियम व शर्तो सहित ऑफर प्राप्त किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या–142

श्री हरि शंकर गुप्ता,मा0 पार्षद,सदस्य कार्यकारिणी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

मा0 कार्यकारिणी समिति हेतु प्रस्ताव

कानपुर नगर निगम सीमान्तर्गत प्रतिदिन शहर के विभिन्न क्षेत्रो से चट्टो द्वारा सड़क पर, नाली में, सीवर लाईन में गोबर डाले जाने की शिकायते प्राप्त होती रहती है, जिससे नागरिकों को सीवर लाईन जाम होने, मख्खी, मच्छर का प्रकोप होने साथ ही गोबर के सड़क पर दुर्घटनायें होने की शिकायते प्राप्त होती रहती है। कानपुर शहर में चट्टो की मुख्य समस्या गोबर है। चट्टो का शहर से बाहर समायोजन पर सरकार के प्रयास में काफी विलम्ब हो रहा है।

अतएव कानपुर नगर निगम सीमान्तर्गत माटी सेवा संस्थान (एन0जी0ओ0) को गौ–पालको /भैस पालको के यहाँ से गोबर उठाने की अनुमति दिये जाने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के विचारार्थ/ स्वीकृतार्थ अग्रसारित करने का कष्ट करें। माटी सेवा संस्थान (एन0जी0ओ0) एक नान प्रोफिटेबल संस्था है। जिसे नगर निगम, कानपुर की सभी सेवा शर्ते मान्य होंगी।

उप सभापति ने कहा कि पूर्व में प्रति जानवरों हेतु दरें निर्धारित की गई थी, सीवर की समस्या से काफी लोग जूझ रहे है और बीमारी फैलने का भी खतरा बना रहता है।

सभापति ने पशु चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि आप सर्वे करायें कि किस घर में कितनी गाय पली है और उनके कितने बच्चे है। क्योंकि गाय के यदि बछिया होती है तो उसे रख लेते है और बछड़ा होता है तो उसे छोड़ दिया जाता है।

पशु चिकित्साधिकारी ने कहा कि शहर के किनारे बसी बस्ती वाले रात्रि में अपने जानवर शहर में छोड़ जाते है, जिससे समस्यायें उत्पन्न होती है।

नगर आयुक्त ने कार्यकारिणी समिति से कहा कि प्रति पशु प्रतिदिन/प्रतिमाह दरें निर्धारित कर ली जाये, तदोपरान्त इसकी निविदा करा ली जाये।

.... **उपरोक्तानुसार वार्डवार सर्वे कराते हुए पशुओं की टैगिंग , पंजीयन कराने हेतु पशु चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया कि किस घर में कितनी गाय एवं भैंस पली है और उनके कितने बच्चे है, तद्नुसार विस्तृत कार्ययोजना तैयार कराते हुए अगली कार्यकारिणी समिति में प्रस्तुत किया जाये।**

प्रस्ताव संख्या–143

श्री रमेश हठी मा0 पार्षद–01,लक्ष्मीपुरवा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

मा0 कार्यकारिणी समिति हेतु प्रस्ताव

कानपुर नगर निगम द्वारा प्रतिवर्ष लक्ष्य के सापेक्ष आपेक्षित गृह कर/ व्यावसायिक कर प्राप्त नहीं हो पाता है, जिसके कारण नगर निगम को आर्थिक समस्याओं के साथ विकास कार्य एवं अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है।

अतएव रू0 50000 (रू0 पचास हजार) के ऊपर के जितने बकायेदार है, उनकी सूची वार्ड वार तैयार कर सभी जोनल कार्यालयों के बाहर चस्पा किये जाने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के विचारार्थ/ स्वीकृतार्थ अग्रसारित करने का कष्ट करें।

सभापति ने कहा कि शहर में कितने होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, हास्पिटल एवं प्राइवेट स्कूल है, उसकी सूची और उन पर क्या कर निर्धारित किया गया है की सूचना 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराई जाये तथा सभी जोन में एक सप्ताह के अन्दर बकायेदारों की सूची लगवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

.... **स्वीकृति प्रदान की गई।**

<u>प्रस्ताव संख्या–144</u>

श्री गिरीश चन्द्रा मा0 पार्षद,निराला नगर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

<u>मा0 कार्यकारिणी समिति हेतु प्रस्ताव</u>

कानपुर नगर निगम सीमान्तर्गत युवाओं को रोजगार की काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई युवाओं के पास कौशल/अनुभव है, किन्तु स्थान न होने के कारण अपना स्वरोजगार नहीं कर पा रहे है।

अतएव कानपुर नगर निगम सीमान्तर्गत नगर निगम द्वारा निर्मित व्यावसायिक क्षेत्रों में दुकाने निर्मित है, उन्ही दुकानों के ऊपर दुकान निर्माण कर रोजगार सृजन किये जाने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के विचारार्थ/ स्वीकृतार्थ अग्रसारित करने का कष्ट करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार दे कर मा0 प्रधानमंत्री जी की योजना को साकार किया जा सके।

नगर आयुक्त ने सभी जोनल आधिकारियों के निर्देशित किया कि वह अपने–अपने जोन क्षेत्र के अन्तर्गत चिन्हित कर अवगत करायें कि नगर निगम की जमीनों पर कितनी दुकानें है और जिन लोगो द्वारा दुकानों के ऊपर अवैध रूप से निर्माण कराया गया है उसकों खाली कराकर नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

.... **परीक्षणोपरान्त अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।**

<u>प्रस्ताव संख्या–145</u>

श्री गिरीश चन्द्र मा0 पार्षद वार्ड–07 द्वारा एवं अन्य 11 पार्षद द्वारा प्रस्तुत जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

कार्यकारिणी हेतु प्रस्ताव

आज दिनांक 30.08.2019 को हुयी भा0ज0पा0 पार्षद दल की बैठक आहुत की थी सभी पार्षदों में आम सहमति हुयी की स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में सभी पार्षदों को सदस्य बनाया जाए व स्मार्ट सिटी के कार्यो की मानीटरिंग पार्षदो से भी कराया जाए। कार्यकारिणी में प्रस्ताव शामिल किया जाए।

नगर आयुक्त ने कहा कि स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत 100 शहर शामिल है, जो भारत सरकार द्वारा नियंत्रित है, जिसकी गाइडलाइन्स भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन सम्भव नही है। यदि आप सब चाहे तो पार्षदों को अलग से बुलाकर प्रत्येक विषय पर स्पष्टता की जा सकती है।

.... **भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी योजना के प्राविधानों के तहत सिटी एडवायजरी कमेटी में पार्षदो को भी सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।**

<u>प्रस्ताव संख्या–146</u>

श्री गिरीश चन्द्र मा0 पार्षद,निराला नगर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत

:–

नगर निगम वार्ड–07 निराला नगर में संजय नगर कच्ची वस्ती,राम आसरे नगर कच्ची वस्ती शिव नगर धर्मेन्द्र नगर ,गोपाल नगर,हलुआखेड़ा जे0पी कालोनी अम्बेदकर नगर में सीवर लाईन नही है। शहर के बीचो वीच सीवल लाईन न होना दुर्भाग्य का विषय है। जनता कार्यालय आकर बताती है कि मातायें बहनें शौच के लिये रेलवे मैदान जाने को वेवस है घर की वेटी शौच के लिये जाती है तो उसके पीछे मॉ को भी जाना पड़ता है। इतना ही नही आये दिन कोई न कोई घटना होया करती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कार्यकारिणीय में प्रस्ताव पास कर अमृत योजना से करवाने का कष्ट करें।

नगर आयुक्त ने निर्देशित किया कि जोनल अधिकारी व जलकल के अधिशाषी अभियन्ता सामूहिक रूप से स्थल का निरीक्षण कर अवगत कराये कि वहाँ पर क्या किया जा सकता है।

.... **परीक्षणोपरान्त अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।**

<u>प्रस्ताव संख्या 147</u>

नगर आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित दिनांक 30.08.19 को नगर निगम कानपुर के अन्तर्गत मोतीझील लॉन में स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत भूमिगत पार्किग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत।

मा0 समिति को अवगत कराना है कि नगर निगम कानपुर के अन्तर्गत मोतीझील स्थित लॉनो को वैवाहिक,धार्मिक,सामाजिक तथा व्यवसायिक आदि कार्यक्रमों हेतु जन सामान्य को सुविधा की दृष्टि से आवंटित किया जाता है जिसमें बड़ी संख्या में नागरिकगणों का आगमन होता है तथा वाहन आदि बड़ी संख्या में मोतीझील के अन्तर्गत एकत्रित हो जाते है

,जिसमें भीषण जाम की स्थिति उत्पन्न होती है और नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। जन सामान्य को जाम से राहत दिलाने हेतु भूमिगत पार्किंग की महती की आवश्यकता है,जिससे नगर निगम के राजस्व में वृद्धि होना स्वाभाविक है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मोतीझील स्थित लानों (लॉन नं0 01,02 व 03) का कुल क्षेत्रफल लगभग 27327 वर्गगज है,जिसमें कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड से भूमिगत पार्किंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में मा0 कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्ताव स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

नगर आयुक्त ने कहा कि चूँकि मोतीझील में कोई बड़ा पार्किंग स्थल नही है। मोतीझील लॉन में समय–समय पर शादी समारोह, प्रदर्शनी एवं मेलों का आयोजन होता रहता है, जिसमें काफी बड़ी संख्या में लोग आते है, और वह अपने वाहनों को पार्किंग न होने के कारण सड़क के किनारे खड़ा कर देते है, जिससे काफी समस्यायें उत्पन्न होती है। इसको देखते हुये मैंने स्मार्ट सिटी से मोतीझील के लॉन में अण्डरग्राउण्ड पार्किंग बनवाये जाने का प्रस्ताव रखा है, इससे लॉन में कोई प्रभाव नही पड़ेगा।

सभापति ने कहा कि इसमें दो भूमिगत तलों पर पार्किंग व एक में दुकानों का निर्माण कराया जाये।

.... चूंकि नगर निगम के तुलसी उपवन में मेट्रो स्टेशन के साथ पार्किंग प्रस्तावित है, अतएव संदर्भित पर विस्तृत परीक्षण कराते हुए कार्यवाही कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव संख्या–148

नगर आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित दिनांक 30.08.19 द्वारा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा–200 के अन्तर्गत विज्ञापन पर अनुज्ञा शुल्क का निर्धारण व वसूली उपविधि 2018 पर प्राप्त आपत्तियों एवं बैठक दिनांक–17.07.2019 में दिये गये सुझाव एवं निस्तारण हेतु, माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत।

1. विज्ञापनकर्ताओं द्वारा विज्ञापन नियमावली के नियम–3 उपनियम–2 पर अंकित स्थल चयन के लिए गठित समिति में नगर निगम से बाहर के विभागों को सम्मिलित किये जाने पर आपत्ति दर्ज की गयी। विज्ञापनकर्ताओं का कथन है कि उक्त समिति में नगर निगम के बाहर के विभागों की सूची बहुत लम्बी है। अतः उनका सुझाव है कि उक्त समिति में केवल नगर निगम के ही विभाग/अधिकारी होने चाहिए। इस सम्बन्ध में प्रभारी विज्ञापन द्वारा अवगत कराया गया कि विभिन्न विभागों जिसमें पी०डब्लू०डी०, परिवाहन एवं अन्य विभाग सम्मिलित है, के द्वारा विज्ञापन पटो की स्वीकृति उपरान्त कभी सड़क चौड़ीकरण के आधार पर और कभी जनहित सम्बन्धी एवं अन्य आधार पर स्वीकृत विज्ञापन पटो को हटाने की मांग की जाती है, जिससे काफी विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। उक्त कार्य में नये स्वीकृत होने वाले पटो के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा सुझाव के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति पटो के आवंटन के पूर्व स्पष्ट हो जायेगी, जिससे भविष्य में होने वाले विवादों की स्थिति से बचा जा सकेगा। अतः आपत्ति बलहीन होने के कारण स्वीकार योग्य नही है।

2. विज्ञापनकर्ताओं द्वारा विज्ञापन नियमावली के नियम–7 के उपनियम–3 के सम्बन्ध में विज्ञापनकर्ताओं द्वारा सुझाव दिया गया कि पुराने व नवीनीकरण वाले विज्ञापनपटों के स्थलों पर प्रीमियम लिया जाना उचित नहीं है, नए स्वीकृत विज्ञापनपटों पर ही प्रीमियम लिया जाये तथा सभी वर्गो का एक समान न्यूनतम प्रीमियम निर्धारित किया जाए। इसके सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि सभी वर्गो के लिए कुल बिल का न्यूनतम 50 प्रतिशत प्रीमियम के रूप में लिया जाए, जो कि अनुज्ञा प्राप्त होते ही जमा करना अनिवार्य होगा।

3. विज्ञापनकर्ताओं द्वारा निजी भवनों पर लगने वाले विज्ञापनपटों का साइज निर्धारित किये जाने पर आपत्ति जतायी गयी। इस सम्बन्ध में प्रभारी विज्ञापन द्वारा अवगत कराया गया कि भवन की सुरक्षा एवं किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिये इसका प्रावधान किया गया है। इस पर विज्ञापनकर्ताओं द्वारा कहा गया कि भवन की सुदृढ़ता के सम्बन्ध में स्ट्रक्चरल इंजीनियर की रिपोर्ट लगायी जाती है। अतः स्ट्रक्चरल इंजीनियर की रिर्पोट के साथ विज्ञापनकर्ता भवन की भौतिक स्थिति के अनुसार ही स्ट्रक्चर लगाएंगे। यदि इस स्ट्रक्चर से कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसकी सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी विज्ञापनकर्ता की होगी।

4. विज्ञापनकर्ताओं द्वारा नियमावली के नियम 5(बी) के अन्तर्गत उपनियम–3(घ) में अंकित "विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद के अनापत्ति पत्र प्रमाण पत्र" संलग्न करने पर आपत्ति जतायी गयी। इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि सामान्यतः उक्त विभागों में आपत्ति की अनिवार्यता नही रहेगी परन्तु उक्त विभागों के वह क्षेत्र जो नगर निगम को हस्तान्तरित नही किए गए है, के स्थलों पर प्रचार करने पर सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5. विज्ञापनकर्ताओं द्वारा नियमावली के नियम 5(बी) के अन्तर्गत उपनियम–3(ड़) में अंकित "जिस भूमि व भवन पर विज्ञापनपट लगाया जायेगा, उसे व्यावसायिक श्रेणी में माना जायेगा" पर आपत्ति जतायी गयी। इस पर बैठक में आश्वासन दिया गया कि निजी भूमि/भवन के जिस भाग का व्यावसायिक प्रयोग किया जायेगा उस भाग को ही व्यावसायिक श्रेणी में माना जायेगा।

6. विज्ञापनकर्ताओं द्वारा निजी भवनों पर लगने वाले दो विज्ञापनपटों के मध्य अन्तर दूरी निर्धारण पर आपत्ति जतायी गयी, जिसके सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि इस प्रकार का कोंई प्रतिबन्ध नहीं है, परन्तु भवन/साइड की सुदृढ़ता हेतु स्ट्रक्चरल इंजीनियर की रिपोर्ट अनिवार्य है।

7. विज्ञापनकर्ताओं द्वारा सुझाव दिया गया कि किसी भी चौराहे पर लगे विज्ञापनपटों की श्रेणी एक ही होनी चाहिए, जिस पर सभी की आम सहमति व्यक्त की गई।

8. विज्ञापनकर्ताओं द्वारा सुझाव दिया गया कि नगर निगम में पंजीकृत विज्ञापनकर्ताओं को ही विज्ञापन कार्य हेतु अनुमन्य किया जायेगा। इसका प्रस्तावित नियमावली के नियम–5(1) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि केवल नगर निगम में पंजीकृत विज्ञापन एजेन्सियाँ को ही विज्ञापन करने की अनुमति अनुमन्य होगी। इस सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी विज्ञापन द्वारा अवगत कराया गया कि इसका प्रावधान नियमावली में पूर्व से ही प्रस्तावित है, के अनुसार ही कार्यवाही की जाएगी।

9. विज्ञापनकर्ताओं द्वारा सुझाव दिया गया कि विज्ञापनपट आवेदन प्रपत्र के रेट अत्यधिक हैं, उन्हें कम किया जाये। इस पर बैठक में निर्णय लिया गया कि पंजीकरण फॉर्म का शुल्क रु० 500.00 **+18% G.S.T** व नवीनीकरण फॉर्म का शुल्क रु० 200.00 **+18% G.S.T** कर दिया जाए।

10. विज्ञापनकर्ताओं द्वारा बार–बार विज्ञापन बदलने पर स्वीकृत प्राप्त करने पर आपत्ति जतायी गयी, जिसे इस शर्त के साथ स्वीकार किया गया कि स्ट्रक्चर पर लगाया जाने वाला विज्ञापनपट राष्ट्रहित एवं धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध, समाज में द्वेष फैलाने वाले, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले, साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ाने वाले एवं अश्लील चित्रों एवं भाषाओं को प्रदर्शित नही करेंगे। इसका उल्लंघन करने पर सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही (काली सूची में डालने) की जाएगी।

11. विज्ञापनकर्ताओं द्वारा माँग की गई कि विज्ञापन नियमावली निर्धारित करने पर उ०प्र० एडवरटाइजर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं महासचिव को संज्ञान में अवगत कराते हुए अग्रिम कार्यवाही हेतु शासन को प्रेषित किया जाएगा, जिसे स्वीकृति प्रदान की गई।

12. विज्ञापनकर्ताओं द्वारा विज्ञापन कर का तिमाही (अग्रिम) भुगतान ड्राफ्ट के माध्यम से किये जाने का सुझाव दिया गया। इस सम्बन्ध में विज्ञापन एजेन्सियों द्वारा सहमति दी गई कि तिमाही भुगतान की निर्धारित अवधि के एक माह के बाद भुगतान प्राप्त न होने पर विज्ञापन कर का भुगतान 12 प्रतिशत ब्याज सहित देय होगा, साथ ही एक माह के बाद भी विज्ञापन कर का भुगतान न करने पर ब्याज की धनराशि के साथ उक्त विज्ञापनपट पट को नगर निगम द्वारा हटा दिया जायेगा और विज्ञापन सामग्री जब्त कर ली जायेगी। इस सम्बन्ध में स्वीकृति प्रदान की गई।

13. कमेटी द्वारा बैठक में प्रस्ताव रखा गया कि विज्ञापन कर की दरें अन्तिम होने के पश्चात् समस्त विज्ञापनकर्ता अपने अपने बकाया देय विज्ञापन कर को तत्काल जमा करायेंगे। इस पर विज्ञापनकर्ताओं द्वारा सहमति दी गयी।

14. विज्ञापनकर्ताओं द्वारा विज्ञापन विभाग के विकेन्द्रीकरण किये जाने पर इस आधार पर आपत्ति जतायी गयी कि 06 जगह से बिल प्राप्त करने व भुगतान करने पर काफी असुविधा होती है। यदि ऐसा सम्भव हो तो केन्द्रीय विज्ञापन विभाग से बिलों का निर्गमन व भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए, जिसे परीक्षणोपरान्त स्वीकृति प्रदान करने का आश्वासन दिया गया।

15. इसी क्रम में विज्ञापनकर्ताओं द्वारा अवगत कराया गया कि होर्डिंग के गार्टर पर ही नम्बर लिखवाने की व्यवस्था की जाए, मोबाइल नम्बर लिखने में परेशानी यह है कि हमारे शहर के कुछ स्थानीय व्यक्तियों द्वारा अपने निजी हित हेतु विशिष्ट जनों की फ्लैक्स छपवाकर स्वीकृत होर्डिंग पर जबरन लगाकर अपना प्रचार करते है। विभाग के पास सभी विज्ञापन एजेन्सियों का मोबाइल नम्बर पहले से मौजूद है विज्ञापनदाताओं की परेशानियों को देखते हुए होर्डिंग पर मोबाइल नम्बर न लिखने की छूट प्रदान की जाए। इस आपत्ति को स्वीकृति प्रदान की गई।

16. इससे पहले शहर के अन्दर छोटी–बड़ी हर प्रकार की होर्डिंग लगा करती थी, परन्तु दो चार वर्ष पहले यह निर्णय लिया गया कि अब केवल 20X10 की ही होर्डिंग लगाई जाएगी। वी. आई.पी. रोड, माल रोड, स्वरूप नगर, तिलक नगर आदि स्थानों पर 20X10 की होर्डिंग के साथ–साथ छोटी होर्डिंग (कम से कम 100 वर्ग फिट) भी लगवाने की अनुमति प्रदान की जाए। इसके सम्बन्ध में परिक्षणोपरान्त निर्णय लिया जाएगा, कि नगर निगम के सौन्दर्यीकरण एवं एकरूपता को दृष्टिगत रखते हुए आपत्ति स्वीकार योग्य नही है।

17. बैठक में सर्वसहमति से यह निर्णय लिया गया कि नगर निगम द्वारा विज्ञापनकर्ताओं से नगर निगम सीमान्तर्गत विज्ञापन हेतु जो स्ट्रक्चर (ढ़ाँचा) लगाए गए है या भविष्य में लगाए जाएंगे, उससे ढ़ाँचा शुल्क के रूप में धनराशि प्राप्त की जाएगी। नियमावली में प्रस्तावित दरों के सम्बन्ध में अंतरिम रूप से निर्णय यू०पी० एडवरटाइजर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से वार्ता कर निर्धारित किया जाएगा। इसकी दरों का आधार यू०पी० एडवरटाइजर्स एसोसिएशन द्वारा प्रस्तावित ढ़ाँचा शुल्क सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुसार निर्धारित की जाएगी। बैठक में सर्वसहमति से यह निर्णय लिया गया कि मा० सर्वोच्च न्यायालय Committee on road safety सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में दिए गए निर्देशों का प्रत्येक दशा में अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

.... **संदर्भित को सभापति के संज्ञान में लाते हुये अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

<u>प्रस्ताव संख्या–149</u>

नगर आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित दिनांक 30.08.19 द्वारा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 199 के अन्तर्गत मा० कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्ताव स्वीकृतार्थ प्रेषित।

ढ़ाँचा शुल्क निर्धारित करने हेतु प्रस्ताव

कृपया माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल रिट याचिका सं० 13578/2018 के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में वाद सं०–354/2018 में पारित आदेश दिनांक 06.05.2019 में विज्ञापन कर को जी०एस०टी० के अन्तर्गत समाप्त करते हुए दिनांक 01.07.2017 से विज्ञापन कर को समाप्त करते हुए इस मद में किसी भी प्रकार की वसूली न करने तथा इसके बाद विज्ञापनकर्ताओं द्वारा जमा की गयी धनराशि को वापस किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। ज्ञातव्य है कि मा० उच्च न्यायालय द्वारा विज्ञापन नियमावली वर्ष–2016 को पहले ही निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान समय में मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.05.2019 के अनुपालन में किसी भी प्रकार के विज्ञापन कर की वसूली पर रोक लगायी गयी है, जिसके कारण वर्तमान समय में विज्ञापन कर की वसूली सुनिश्चित नहीं हो सकती है। मा० उच्च न्यायालय द्वारा विज्ञापन नियमावली 2016 को निरस्त करने के उपरान्त तत्कालीन नगर आयुक्त महोदय द्वारा आदेश दिनांक 24.11.2017 में स्वीकृत दरों जो विज्ञापन नियमावली 2016 में अंकित दरों के अनुसार निर्धारित की गयी है, जिसका विवरण पताका–क पर अवलोकनीय है, इन निर्धारित दरों के विरूद्ध यू० पी० एडवरटाइजर्स एसोसिएशन के द्वारा तत्कालीन नगर आयुक्त महोदय से मिल कर आपत्ति की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में वार्ता में यह निर्धारित हुआ था कि एसोसिएशन से वार्ता एवं सहमति के आधार पर नवीन विज्ञापन नियमावली के अन्तिम रूप से लागू होने तक आपसी सहमति से दरें निर्धारित कर वसूली की कार्यवाही की जा सकेगी।

नगर आयुक्त महोदय को सम्बोधित यू०पी० एडवरटाइजर्स एसोसिएशन के पत्र दिनांक 17.05.2019 व दिनांक 27.07.2019 का अवलोकन करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा विज्ञापन की नवीन नियमावली लागू होने तक वैकल्पिक दरों के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2015–16 में निर्धारित दरों में 01.07.2017 से 31.03.2018 तक की दरों में 25 प्रतिशत वृद्धि एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 में 50 प्रतिशत वृद्धि करने एवं इसी आधार पर पूर्व विज्ञापनपटों का नवीनीकरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रेषित किया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नगर आयुक्त महोदय को सम्बोधित पत्र दिनांक 17.05.2019 द्वारा मा० सर्वोच्च न्यायालय में योजित वाद सं०–13578/2018 एवं मा० उच्च न्यायालय में योजित वाद सं०–354/2018 में पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए, आदेश के परिपेक्ष में विज्ञापन व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने हेतु नगर निगम एवं विज्ञापनकर्ताओं दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन के सम्बन्ध में यू०पी० एडवरटाइजर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी ने मिलकर मा० उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.05.2019 के अनुपालन में कार्यवाही किए जाने का अनुरोध किया गया है। आदेश का क्रियात्मक अर्थ निम्नवत है–

In view of the above after 12.09.2016 on from 01.07.2017 the Nagar Nigam, Kanpur ceased to have any jurisdiction to impose and realize tax on advertisement Accordingly the demand of tax on advertisement from the petitioners after 01.07.2017 is held to be illegal and without jurisdiction.

The notice of demand impugned in the petition to the above extent are quased and the amount, if any of the advertisement tax deposited by the petitioners for the period 01.07.2017 onwards shell be refunded to the petitioners.

The writ petition is allowed and it is held that the Nagar Nigam, Kanpur shall not realize any tax on advertisement after 01-07-2017.

माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय दिनांक 06.05.2019 के अनुसार विज्ञापन की वसूली नगर निगम द्वारा न करने एवं इसके पश्चात उक्त मद में यदि विज्ञापनकर्ताओं द्वारा कोई धनराशि जमा की गई है, तो उसे वापस करने हेतु निर्देशित किया गया है। ऐसी स्थिति में विज्ञापन की वसूली किया जाना मा० उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में सम्भव नही हो पा रहा है, जबकि जुलाई 2017 से अब तक स्वीकृत विज्ञापनपट का प्रयोग निरन्तर सम्बन्धित विज्ञापनकर्ता द्वारा किया जा रहा है। नगर आयुक्त महोदय से यू०पी० एडवरटाइजर्स एसोसिएशन द्वारा मिल कर यही अनुरोध किया गया था कि नगर निगम कानपुर की सीमान्तर्गत यदि पूर्व विज्ञापन कर के स्थान पर बनारस नगर निगम की भाँति ढ़ाँचा शुल्क/प्रशासकीय शुल्क के रूप में ढ़ाँचा शुल्क की दरें तब तक के लिए तय कर ली जायें जब तक कि नई विज्ञापन नियमावली लागू न हो जाए।

उक्त के क्रम में यू०पी० एडवरटाइजर्स एसोसिएशन द्वारा नगर आयुक्त महोदय से उक्त वार्ता के क्रम में लिखित रूप से सहमति पत्र दिनांक–17.05.2019 एवं दिनांक–27.07.2019 जो संलग्न साइड में पताका–ख व ग पर अवलोकनीय है, में वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रचलित दरों में 25 प्रतिशत वृद्धि एवं वर्ष 2019–20 में 50 प्रतिशत की बढोत्तरी कर आन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत ढ़ाँचा शुल्क तय करके वैकल्पिक शुल्क देने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में अपर नगर आयुक्त, प्रभारी अधिकारी "विज्ञापन" द्वारा यू०पी० एडवरटाइजर्स एसोसिएशन से वित्तीय वर्ष में प्रचलित दरों में 100 प्रतिशत बढ़ोत्तरी कर वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत दरें तय कर ली जाए। ऐसा करने से विज्ञापन की दरें जो अब (ढ़ाँचागत शुल्क) में लिया जाना है, जो वित्तीय वर्ष 2016–17 की दरों से अधिक हो जाएगी। उपरोक्त यू०पी० एडवरटाइजर्स एसोसिएशन को स्वीकार नही है। यू०पी० एडवरटाइजर्स एसोसिएशन के पत्र दिनांक 27.07.2019 द्वारा विज्ञापन दरों में वृद्धि का जो प्रस्ताव दिया है वह निम्नवत है:–

1. मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.05.2019 के अनुरूप 01.07.2017 के उपरान्त विज्ञापन के मद में किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जा सकता है।
2. चूँकि वर्तमान में विज्ञापन नियमावली निरस्त है एवं मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार बिना विधिक प्रावधान के किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जा सकता है और 01.07.2017 के उपरान्त विज्ञापन के मद में ली गई धनराशि वापस करने का भी आदेश है।
3. 01.07.2017 से नवीन विज्ञापन नियमावली लागू होने तक नगर निगम एवं विज्ञापनकर्ताओं के मध्य ढ़ाँचा शुल्क वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रचलित दरों के आधार पर दरे तय कर ली जाए, जिससे किसी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न न हों।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रचलित दरों में प्रतिशत अनुसार वृद्धि निम्नवत है–

YEAR	(2016-17)	
SIZE	MET.	FIT
UNIPOLE	Rate	
SUPER	4,000.00	371.61
A	2,800.00	260.13
B	2,300.00	213.68
C	1,800.00	167.22
D	1,500.00	139.35
HORDING		
SUPER	2,500.00	232.26

2015-16				
FIT	+25%	+50%	+75%	100%
Rate				
125.00	156.25	187.50	218.75	250.00
100.00	125.00	150.00	175.00	200.00
85.00	106.25	127.50	148.75	170.00
75.00	93.75	112.50	131.25	150.00
60.00	75.00	90.00	105.00	120.00
125.00	156.25	187.50	218.75	250.00

A	1,700.00	157.93	100.00	125.00	150.00	175.00	200.00
B	1,400.00	130.06	85.00	106.25	127.50	148.75	170.00
C	1,200.00	111.48	75.00	93.75	112.50	131.25	150.00
D	1,000.00	92.90	60.00	75.00	90.00	105.00	120.00

CANT. L.	Rate		Rate				
SUPER	3,500.00	325.16	125.00	156.25	187.50	218.75	250.00
A	3,000.00	278.71	100.00	125.00	150.00	175.00	200.00
B	2,500.00	232.26	85.00	106.25	127.50	148.75	170.00
C	2,000.00	185.80	75.00	93.75	112.50	131.25	150.00
D	1,000.00	92.90	60.00	75.00	90.00	105.00	120.00

POLICE	Rate		Rate				
SUPER	4,500.00	418.06	125.00	156.25	187.50	218.75	250.00
A	3,500.00	325.16	100.00	125.00	150.00	175.00	200.00
B	2,500.00	232.26	85.00	106.25	127.50	148.75	170.00
C	1,500.00	139.35	75.00	93.75	112.50	131.25	150.00
D	1,000.00	92.90	60.00	75.00	90.00	105.00	120.00

BUS SHELT.	Rate		Rate				
SUPER	4,500.00	418.06	125.00	156.25	187.50	218.75	250.00
A	3,500.00	325.16	100.00	125.00	150.00	175.00	200.00
B	2,500.00	232.26	85.00	106.25	127.50	148.75	170.00
C	1,500.00	139.35	75.00	93.75	112.50	131.25	150.00

D	1,000.00	92.90		60.00	75.00	90.00	105.00	120.00

नगर आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक–24.11.17 में निर्धारित दरें विज्ञापन नियमावली 2016 के अनुसार निर्धारित की गयी थी जिसके विरूद्ध मा0 न्यायालय में वाद दाखिल किया था और मा0 न्यायालय द्वारा विज्ञापन नियमावली 2016 को निष्प्रभावी कर दिया गया था, इन दरों पर विज्ञापन कर की समाप्ति उपरान्त ढ़ाँचा शुल्क के रूप में उक्त दरों को स्वीकार करने पर सहमत नहीं है। चूँकि 01.07.2017 के पश्चात नगर में स्वीकृत विज्ञापनपटों से ढाँचा शुल्क का प्रस्ताव यू०पी० एडवरटाइजर्स एसोसिएशन से लिखित रूप से आया है, जिससे मा० सर्वोच्च न्यायालय में योजित वाद सं०–13578/2018 एवं मा० उच्च न्यायालय में योजित वाद सं०–354/2018 के आदेश, जिसका विवरण पूर्व में वर्णित किया गया है की भी अवमानना नही होगी, साथ ही नगर निगम विज्ञापनकर्ताओं 01.07.2017 के बाद विज्ञापन मद में जमा की गई धनराशि वापस करने की आवश्यकता नही पडेगी साथ ही 01.07.2017 से नवीन विज्ञापन नियमावली लागू होने तक विज्ञापनकर्ताओं से 01.07.2017 से 31.03.2019 तक पूर्व प्रचलित दरों में 25 प्रतिशत वृद्धि एवं 01.04.2019 से 50 प्रतिशत वृद्धि नवीन विज्ञापन नियमावली लागू होने तक वसूली करने का मार्ग प्रशस्त होगा साथ ही विज्ञापन एजेन्सियों के नवीनीकरण/पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो सकेगी, जिससे नगर निगम राजस्व में वृद्धि होने की सम्भावना होगी। यदि विज्ञापन एसोसियेशन के उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है तो यह प्रतिबन्ध रहेगा कि जमा की गयी धनराशि में यदि किसी भी विज्ञापन एजेन्सी का जमा की जाने वाली धनराशि में यदि कोई समायोजन बनेगा तो वह वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 पर लागू नहीं होगा एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष की नवीनीकरण एवं निर्धारित ढाँचा शुल्क तत्काल नगर निगम कोष में जमा करना होगा। कृपया नगर निगम वित्तीय हित में नगर में लगे सभी स्वीकृत विज्ञापनपटों से 01.07.2017 से नवीन विज्ञापन नियमावली लागू होने तक उक्त अनुसार ढाँचा शुल्क को स्वीकृति एवं अग्रिम आदेशार्थ आख्या प्रेषित है।

उपरोक्त प्रस्ताव माननीय कार्यकारिणी के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

....संदर्भित को सभापति के संज्ञान में लाते हुये अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

सभापति के समक्ष निम्नवत् प्रस्ताव हस्तगत (टेबुल) किये गये :–

टेबुल प्रस्ताव सं0–150 श्री गिरीश चन्द्रा द्वारा प्रस्तुत व 04 कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा समर्थित प्रस्ताव पर विचार करना।

निवेदन है कि नगर निगम नगर आयुक्त कार्यालय में लाल सिंह यादव जो कि अवकाश प्राप्त हो चुके है, मगर अभी कार्य कर रहे है, मेरा आपसे अनुरोध है कि नगर आयुक्त कार्यालय महत्वपूर्ण है, वहॉ पर नगर निगम का स्थाई कर्मचारी ही कार्यरत होना चाहिये।

नगर आयुक्त ने कहा कि यह मेरे स्तर का मामला है, इस पर मैं अपने स्तर से कार्यवाही करूँगा।

.... श्री लाल सिंह यादव जो सेवानिवृत्त है, को हटाये जाने हेतु नगर आयुक्त को कार्यवाही कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

टेबुल प्रस्ताव सं0–151 श्री दुर्गा प्रसाद गुप्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :–

सादर अवगत कराना है कि नगर निगम, कानपुर में हो रही ई–टेंडरिंग प्रणाली में प्रायः यह देखने में आया है कि निविदाकारों द्वारा टेण्डर डालने में अनुमानित आगणन से 31 प्रतिशत तक न्यूनतम टेण्डर डाला जा रहा है, जिससे कार्य की गुणवत्ता पर लगातार संशय बना हुआ है, जो कि समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के नाम से प्रकाशित भी होता है। जिसका हिसाब जनता हम प्रतिनिधियों से माँगती है, क्योंकि लोकतंत्र में जवाब सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। कार्य निविदिाकारों द्वारा गुणवत्ता के अनुरूप नही होता 22 प्रतिशत कमीशन विभाग का और जिम्मेदार हम जनप्रतिनिधि पर मा0 कार्यकारिणी हेतु आपके समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत है।

नगर आयुक्त ने कहा कि इस सम्बन्ध में हमने पूर्व में भी विचार–विमर्श किया था। यदि कोई 10 प्रतिशत से ज्यादा नीचे कोई टेण्डर डाल रहा है तो उस कार्य की 3rd Party जाँच करायेंगे और उसके उपरान्त ही उसका अन्तिम भुगतान किया जायेगा।

.... **10 प्रतिशत से ज्यादा नीचे के टेण्डर के कार्यो की 3rd Party जाँच कराये जाने के पश्चात् उसका अन्तिम भुगतान किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।**

<u>**टेबुल प्रस्ताव सं0–152**</u> श्री कमल शुक्ल "बेबी" द्वारा प्रस्तुत एवं अन्य पार्षदों व कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा समर्थित प्रस्ताव पर विचार करना :–

विषय :– नगर निगम में आउटसोर्सिंग पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाये जाने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्ताव

महोदया,

शासन द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती प्रतिबन्धित होने के कारण नगर निगम, कानपुर में आउटसोर्सिंग के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी कर्मी नगर निगम के विभिन्न कार्यालय/विभागों में कार्यरत है। जिन्हें प्रतिमाह 05 से 06 हजार प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता है।

वर्तमान में महंगाई काफी चरम पर है, जिससे चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को प्रतिमाह वेतन के रूप में प्राप्त होने वाला धन परिवार संचालन के लिये अत्यन्त अल्प है। जिसमें आधा वेतन कार्यालय आने–जाने मे ही व्यतीत हो जाता है।

अतएव नगर निगम में आउटसोर्सिंग पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन कम से कम 15000/– (पंद्रह हजार) किये जाने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत है, जिससे आउटसोर्सिंग चतुर्थ श्रेणी कर्मी अपने एवं अपने परिवार का कुशलतापूर्वक जीवन यापन कर सके।

.... **मुख्य नगर लेखा परीक्षक के परीक्षणोपरान्त माननीय महापौर जी के माध्यम से अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।**

<u>**टेबुल प्रस्ताव सं0–153**</u> श्री महेन्द्र पाण्डेय "पप्पू" उपसभापति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :–

निवेदन है कि गंगा बैराज में देश के माननीय पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न से सम्मानित श्रद्धेय स्व0 अटल बिहारी बाजपेयी जी के नाम से अटल घाट का निर्माण हुआ है, जिसमें हजारों की संख्या में कानपुर के व अन्य जनपद के लोग आते है।

मेरा आपसे निवेदन है कि उक्त घाट पर एक प्रतिमा माँ गंगा की तथा एक प्रतिमा श्रद्धेय स्व0 अटल बिहारी बाजपेयी जी की लगवाने की कृपा करें।

.... **स्वीकृति प्रदान की गई।**

<u>**टेबुल प्रस्ताव सं0–154**</u>   श्री जयप्रकाश पाल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :–

विषय :– वार्ड–74 श्याम नगर की रोड कटिंग का पैसा अन्य वार्ड में लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि वार्ड–74 श्याम नगर वार्ड की रोड कटिंग का पैसा अन्य वार्ड में लगा दिया गया है, कृपया रोड कटिंग का पैसा उसी वार्ड में वापस करा कर कार्य कराने का कष्ट करें।

श्री मो0 अमीम ने कहा कि हमारे वार्ड में 100 प्रतिशत रोड कटिंग हो गई है, जिसमें लगभग 34 से 35 लाख रूपया मिलना चाहिये था, वह लगभग 15 लाख मिला है, इसका पुनः परीक्षण कराया जाये।

नगर आयुक्त ने कहा कि यदि 05 वार्डो के अन्तर्गत रोड कटिंग की जा रही है, तो यह देख लिया जाये कि किस वार्ड में कितनी कटिंग की जा रही है और उस धनराशि से उसी सड़क के निर्माण/मरम्मत का कार्य कराया जाये।

.... **जिस सड़क की रोड कटिंग की धनराशित जमा करायी गयी हो, उसी सड़क की मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

<u>**टेबुल प्रस्ताव सं0–155**</u>   श्री कमल शुक्ल 'बेबी' द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :–

स्व0 श्रीमती कमला दरियावादी पूर्व विधायिका, कानपुर नगर सीसामऊ की विधायक रही। चौक मूलगंज टैम्पों स्टैण्ड कमला दरियावादी चौक रखा जाये।

.... **अस्वीकृत किया गया।**

<u>**टेबुल प्रस्ताव सं0–156**</u>   श्री जयप्रकाश पाल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :–

विषय :– 04.10.2018 दिन गुरूवार को कार्यकारिणी के प्रस्ताव सं0 16 जो कि कार्यकारिणी व सदन में पास है के सन्दर्भ में।

महोदय,

अवगत कराना है कि मेरे द्वारा कार्यकारिणी में 04.10.2018 को होने वाली कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव संख्या–16 में दबौली वेस्ट सब्जी मण्डी चौराहा में नगर निगम द्वारा दुकानें बनवाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव दिया गया था, जो कि कार्यकारिणी से पास किया गया था, परन्तु अभी तक कोई भी कार्यवाही नही की गई है, मेरा अनुरोध है कि उक्त जगह पर बसे हुये दुकानदारों की लिस्ट बनाकर सिक्योरिटी मनी जमा कराकर दुकानों का किराया निर्धारित कर दिया जाये।

.... **परीक्षणोपरान्त अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।**

<u>**टेबुल प्रस्ताव सं0–157**</u>   श्री श्याम लाल मूलचन्दानी, अध्यक्ष पूज्य सिन्धी पंचायत द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :–

विषय :– श्री झूलेलाल चौराहे का नामकरण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन के साथ कहना है कि पूज्य सिन्धी पंचायत "श्री झूलेलाल मन्दिर" ब्लाक–13, गोविन्द नगर, कानपुर पिछले 55 वर्षो से स्थापित है। उक्त संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय द्वारा रजिस्टर्ड संस्था है, जिसका पंजीकरण संख्या–3131 है। यह की पूज्य सिन्धी पंचायत "श्री झूलेलाल मन्दिर" पूर्ण रूप से एक सामाजिक व धार्मिक संस्था है। उक्त संस्था का उद्देश्य समाज में पारस्परिक प्रेम व सद्भावना बनाये रखना तथा समाज के लोगो के विकास में सहायता करना, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना, महिलाओं, विकलाँगों एवं निराश्रितों के हितार्थ समाज सेवा के कार्य किये जाते है। मन्दिर में प्रतिदिन पूजा अर्चना एवं समय–समय पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कर समाज को एकजुट करने का प्रयास किया जाता है। उक्त सभी कार्यक्रमों में सिन्धी समाज के साथ–साथ अन्य सम्प्रदायों के लोग भी आकर बड़ी श्रद्धा से पूजा अर्चना करते है।

श्रीमान् जी को बताना है कि कालान्तर में नन्दलाल चौराहे का नाम वहाँ पर निवास करने वाले नन्दलाल जी के नाम से बोलचाल की भाषा में प्रचलित हो गया था, जो कि आज तक चला आ रहा है। अब आज के इस बदलते परिवेश में सिन्धी समाज के लोगों के साथ–साथ क्षेत्रीय नागरिकों की हार्दिक इच्छा है कि नन्द लाल चौराहे का नामान्तरण करके श्री झूलेलाल चौराहा कर दिया जाए।

अतः जन भावनाओं का सम्मान करते हुये पूज्य सिन्धी पंचायत कार्यकारिणी श्रीमान् जी से सादर अनुरोध करती है कि चौराहा के नाम श्री झूलेलाल चौराहा करने की कृपा करें। श्रीमान् के द्वारा किये गये इस पुनीत कार्य के लिये पंचायत की समस्त कार्यकारिणी एवं क्षेत्रीय जनता आभारी रहेगी।

.... **नन्दलाल चौराहे का नामकरण "श्री झूलेलाल चौराहा" किये जाने हेतु यथानियम स्वीकृति प्रदान की गई।**

टेबुल प्रस्ताव सं0–158 पशु चिकित्साधिकारी द्वारा प्रस्तुत एवं अपर नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना :–

कानपुर नगर निगम सीमान्तर्गत निराश्रित एवं बेसहारा पशुओं को पकड़ कर कान्हा गोशाला, जाना गाँव जाजमऊ, गो–अभ्यारण्य, पनकी, अस्थायी गो–संरक्षण केन्द्र बकरमण्डी, कॉजी हाउस, जाजमऊ एवं दर्शनपुरवा में निरूद्ध किया जा रहा है। इनके भरण–पोषण हेतु निदेशक पशुपालन विभाग के पत्र संख्या– 5494 / सा0–2 / XII-571 / गो0से0ओ0 / 18–19 दिनांक 14.01.2019 द्वारा रू0 30.00 प्रतिदिन प्रति गोवंश व्यय किये जाने का प्राविधान किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि निराश्रित एवं बेसहारा पशुओं के रख–रखाव हेतु शासन द्वारा प्राविधानित रू0 30.00 के अतिरिक्त आने वाला व्यय भार नगर निगम निधि से व्यय किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत है।

मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ / अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

.... **पत्र तैयार कर शासन को प्रषित किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

टेबुल प्रस्ताव सं0–159 पर्यावरण अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत एवं अधिशाषी अभियन्ता 'प्रोजेक्ट" द्वारा समर्थित प्रस्ताव पर विचार करना :–

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लान्ट, भवसिंह पनकी के संचालन के सम्बन्ध में

कानपुर नगर निगम सीमान्तर्गत आने वाले शहरी क्षेत्र के आम नागरिकों द्वारा प्रतिदिन उत्सर्जित किये जाने वाले अपशिष्ट के वैज्ञानित निस्तारण हेतु मेसर्स ए02जेड0 इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 के साथ दिनांक 16.10.2010 को त्रिपक्षीय अनुबंध सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम एवं नगर निगम के मध्य किया गया। उक्त अनुबंध

के क्रम में संस्था द्वारा कलेक्शन, स्टोरेज एवं ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एवं डिस्पोजल का कार्य प्रारम्भ किया गया। जिसे उक्त कम्पनी अनुबन्ध के अनुसार निर्धारित कार्यो को माह मार्च, 2015 तक किया गया तदोपरांत मेसर्स ए2जेड कम्पनी द्वारा दिनांक 11.04.2015 को कार्य पूरी तरह से बन्द कर दिया गया। कम्पनी के इस कृत्य पर इनके विरूद्व दिनांक 17.05.2015 को पनकी थाना कानपुर नगर में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी।

उ0प्र0 शासन ने अपने पत्र संख्या– 775/नौ–5–2016–49सा/15 दिनांक 18 मार्च, 2016 द्वारा उक्त प्लाण्ट के संचालन हेतु एक नये कंसेशनायर मेसर्स आई0एल0एण्डएफ0 इन्वायरमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सर्विसेज लि0 के तकनीकी प्रबंधन के अन्तर्गत मेसर्स अर्थ इन्वायरमेन्टल मैनेजमेन्ट सर्विसेज प्रा0लि0 का चयन किया गया। उक्त शासनादेश दिनांक 18 मार्च, 2016 के अनुपालन में प्लाण्ट के पुर्नगठन एवं संचालन हेतु दिनांक 24.12.2016 को प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट उ0प्र0 शासन, सी0एण्डडी0एस0 उ0प्र0 जल निगम, नगर निगम, कानपुर मेसर्स आई0एल0एण्डएफ0एस0 फाईनेन्शियल सर्विसेज लि0 तथा मेसर्स अर्थ इन्वायरमेन्टल मैनेजमेन्ट सर्विसेज प्रा0लि0 (ई0ई0एम0एस0पी0एल0) के मध्य किया गया था।

प्लाण्ट के संचालन हेतु किये गये अनुबंध दिनांक 24.12.2016 में प्रस्तावित इम्प्लीमेंटेशन प्लान के अनुसार वेस्ट टू एनर्जी प्लाण्ट का पुर्नसंचालन अनुबंध के अनुसार प्रारम्भ किया जाना है जिसमें अनुबंध की शर्तो के अनुसार जब तक कम्पोस्ट खाद एवं आर0डी0एफ0 के साथ–साथ पुराने कूड़े का निस्तारण किया जायेगा जिस हेतु पुराने कूड़े के निस्तारण हेतु रू0 95/– प्रति टन एवं शेष बचे इनर्ट को 138/– रू0 की दर से नगर निगम द्वारा भुगतान किया जाना प्राविधानित है।

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ठोस अपशिष्ट प्लाण्ट का संचालन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स–2016 के ऊअनुसार कराये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुसार प्लाण्ट के संचालन हेतु कार्यदायी फर्म को समय–समय पर विभिन्न नोटिस/पत्रों के माध्यम से निर्देश निर्गत किये गये किन्तु उक्त फर्म को भारत सरकार द्वारा टेकओवर कर लिये जाने के कारण फर्म द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों सहित पूर्ण क्षमता के साथ प्लाण्ट का संचालन न कर पाने के कारण नगर निगम कानपुर द्वारा अपने वित्तीय एवं उपकरणीय संसाधनों के साथ मानवबल लगा कर कार्यदायी संस्था के तकनीकी सहयोग से प्लाण्ट का संचालन विगत लगभग 10 माह से किया जा रहा है।

मा0 न्यायमूर्ति श्री देवी प्रसाद सिंह, चेयरमैन, यू0पी0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट मानीटरिंग कमेटी द्वारा प्लाण्ट के निरीक्षण के दौरान रख–रखाव एवं संचालन पर रोष व्यक्त करते हुये कूड़े का शतप्रतिशत निस्तारण कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गये है। संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त दिनांक 15.05.2019 को निर्गत प्रेस नोट में कानपुर नगर निगम की लापरवाही पर उसके ऊपर मा0 एन0जी0टी0 को 15 करोड़ रूपये पर्यावरणीय हर्जाना लगाये जाने की सिफारिश की गई है और कानपुर नगर निगम के प्रबन्ध तंत्र के विरूद्ध कार्यवाही करने और दण्ड आरोपित करने की सिफारिश भी की गई है। मा0 एन0जी0टी0/मा0 कमेटी द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स–2016 में निहित व्यवस्था के अनुसार कराये जाने हेतु दिये गये निर्देशानुसार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लाण्ट कानपुर में पूर्व से संग्रहित पुराने कूड़े को निस्तारित किये जाने हेतु दिनांक 30.05.2019 को Expression of Interest (EoI) आमंत्रित करते हुये किसी अन्य संस्थ को अनुबंधित करने का कार्य प्रगति पर है जिसमें वित्तीय प्रस्ताव की प्रक्रिया लम्बित है।

शहर के नागरिकों के जनस्वास्थ्य के दृष्टिगत म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स–2016 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत पूर्ण वैज्ञानिक विधि से ठोस अपशिष्ट निस्तारण प्लाण्ट का संचालन कराये जाने हेतु विशेषज्ञ फर्मो विचार विमर्श किया गया जिसके सापेक्ष मेसर्स राघवी इन्फोकॉम एण्ड मीडिया प्रा0लि0, थाने वेस्ट, महाराष्ट्रा द्वारा अपने पत्र दिनांक 29 अगस्त, 2019 के माध्यम से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लाण्ट भवसिंह पनकी का रखरखाव एवं संचालन किये जाने हेतु प्रस्ताव दिया गया है। जिसमें इस नई फर्म को दिनांक 24.12.2016 को निष्पादित "प्रोजेक्ट इम्प्लीमेन्टेशन एग्रीमेन्ट" जो उ0प्र0 शासन, सी0एण्डडी0एस0 उ0प्र0 जल निगम, नगर निगम कानपुर, मेसर्स आई0एल0एण्डएफ0एस0 फाइनेन्शियल सर्विसेज लि0 तथा मेसर्स अर्थ इन्वायरमेन्टल मैनेजमेन्ट सर्विसेज प्रा0लि0 (ई0ई0एम0एस0पी0एल0) के मध्य किया गया था, में निहित सभी शर्तो के साथ मेसर्स आई0ई0आई0एस0एल0 के तकनीकी सहयोग से कार्य करने का प्रस्ताव है एवं उक्त निष्पादित "अनुबंध की शर्तो के अनुसार पुराने कूड़े के

निस्तारण हेतु रू0 95/-प्रति टन एवं शेष बचे इनर्ट को 138/- रू0 की दर से नगर निगम द्वारा भुगतान किया जाना प्राविधानित है।" के अनुरूप प्रस्तुत देयकों का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त के साथ-साथ यह भी संज्ञान में लाना है कि नगर निगम लखनऊ में ठोस अपशिष्ट निस्तारण हेतु वर्तमान में 700/- प्रति मै0टन की दर से भुगतान किया जा रहा है एवं वर्तमान में कानपुर सॉलिड वेस्ट प्लाण्ट पर अनुमानित 18 से 20 लाख मै0टन पुराना कूड़ा पड़ा है जिसके निस्तारण पर अनुमानित रू0 150.00 से 175.00 करोड़ के व्यय की सम्भावना है।

अतः जनहित में मा0 एन0जी0टी0 एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स-2016 के दृष्टिगत शहर के नागरिकों के जनस्वास्थ्य को संज्ञान में रखते हुये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लाण्ट का संचालन मेसर्स आई0ई0आई0एस0एल0 के तकनीकी सहयोग से मेसर्स राघवी इन्फोकॉम एण्ड मीडिया प्रा0लि0 के माध्यम से दिनांक 24.12.2016 को निष्पादित बहुपक्षीय अनुबंध की शर्तो के अधीन कराये जाने की स्वीकृति मा0 कार्यकारिणी से अपेक्षित है।

टेबुल प्रस्ताव सं0-160 पर्यावरण अभियन्ता एवं अधिशाषी अभियन्ता 'प्रोजेक्ट" द्वारा प्रस्तुत एवं नगर आयुक्त महोदय द्वारा समर्थित प्रस्ताव पर विचार करना :-

प्रस्ताव

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अन्तर्गत "वेस्ट टू एनर्जी प्लाण्ट" के संचालन के संबंध में।

कानपुर नगर निगम सीमान्तर्गत आने वाले शहरी क्षेत्र के आम नागरिकों द्वारा प्रतिदिन उत्सर्जित किये जाने वाले अपषिष्ट के वैज्ञानिक निस्तारण हेतु मेसर्स ए02जेड0 इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 के साथ दिनांक 16.10.2010 को त्रिपक्षीय अनुबंध सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम एवं नगर निगम के मध्य किया गया। उक्त अनुबंध के क्रम में संस्था द्वारा कलेक्षन, स्टोरेज एवं ट्रांसपोर्टेषन, प्रोसेसिंग एवं डिस्पोजल का कार्य प्रारम्भ किया गया एवं उक्त परियोजना में मेसर्स ए02जेड0 इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 द्वारा निजी संसाधनों से 15 मेगावाट क्षमता का वेस्ट-2 एनर्जी प्लाण्ट का निर्माण कर संचालन प्रारम्भ किया गया था। जिसे उक्त कम्पनी अनुबंध के अनुसार निर्धारित कार्यों को माह मार्च, 2015 तक किया गया तदोपरांत मेसर्स ए2जेड कम्पनी द्वारा दिनांक 11.04.2015 को कार्य पूरी तरह से बन्द कर दिया गया। कम्पनी के इस कृत्य पर इनके विरूद्ध दिनांक 17.05.2015 को पनकी थाना कानपुर नगर में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी।

उ0प्र0 शासन नें अपने पत्र संख्या-775/नौ-5-2016-49सा/15, दिनांक 18 मार्च, 2016 द्वारा उक्त प्लाण्ट के संचालन हेतु एक नये कंसेषनायर मेसर्स आई0एल0एण्डएफ0 इन्वायरमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेज लि0 का चयन किया गया। उक्त शासनादेष दिनांक 18 मार्च, 2016 के बिन्दु संख्या-6 में नयी एस0पी0वी0 द्वारा अपने निवेष के माध्यम से "वेस्ट टू इनर्जी" प्लाण्ट के पुनरूद्धार की कार्यवाही निहित थी। जिसके अनुपालन में प्लाण्ट के पुर्नगठन एवं संचालन हेतु दिनांक 24.12.2016 को प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेषन एग्रीमेंट उ0प्र0 शासन, सी0एण्डडी0एस0 उ0प्र0 जल निगम, नगर निगम कानपुर, मेसर्स आई0एल0एण्डएफ0एस0 फाईनेन्षियल सर्विसेस लि0 तथा मेसर्स अर्थ इन्वायरमेन्टल मैनेजमेन्ट सर्विसेज प्रा0लि0 (ई0ई0एम0एस0पी0एल0) के मध्य किया गया था जिसमें प्लाण्ट के संचालन हेतु किये गये अनुबंध दिनांक 24.12.2016 में प्रस्तावित इम्प्लीमेंटेषन प्लान के अनुसार वेस्ट टू एनर्जी प्लाण्ट का पुर्नसंचालन अनुबंध के अनुसार प्रारम्भ किया जाना था।

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ठोस अपषिष्ट प्लाण्ट का संचालन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स–2016 के अनुसार कराये जाने हेतु दिये गये निर्देषों के अनुसार प्लाण्ट के संचालन हेतु कार्यदायी फर्म को समय–समय पर विभिन्न नोटिस/पत्रों के माध्यम से निर्देष निर्गत किये गये किन्तु उक्त फर्म को भारत सरकार द्वारा टेकओवर कर लिये जाने के कारण फर्म द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों सहित पूर्ण क्षमता के साथ प्लाण्ट का संचालन न कर पाने के कारण नगर निगम कानपुर द्वारा अपने वित्तीय एवं उपकरणीय संसाधनों के साथ मानवबल लगा कर कार्यदायी संस्था के तकनीकी सहयोग से प्लाण्ट का संचालन विगत लगभग 10 माह से किया जा रहा है किन्तु अनुबंध दिनांक 24.12.2016 में प्रस्तावित इम्प्लीमेंटेषन प्लान के अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा वेस्ट टू एनर्जी प्लाण्ट का पुर्नसंचालन का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स–2016 में निहित व्यवस्था एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये निर्देषों के अनुपालन में से शहर से संग्रहीत अपषिष्ट से विद्युत तैयार करने हेतु प्लाण्ट की स्थापना के साथ–साथ उसके रखरखाव एवं संचालन का कार्य किया जाना है। जिस हेतु Raghavi Infocom & Media Pvt. Ltd. एवं Eneco system Inc. द्वारा नगर आयुक्त महोदय के समक्ष प्रस्ताव दिया गया है जिसमें उक्त संयुक्त फर्मों द्वारा "पी0पी0पी0" पद्धति से शहर से संग्रहीत अपषिष्ट से विद्युत तैयार करने हेतु प्लाण्ट की स्थापना के साथ–साथ उसके रखरखाव एवं संचालन का कार्य किया जायेगा।

तत्क्रम में अवगत कराना है कि सचिव, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर द्वारा अपने पत्र संख्या–डी/705/तह.–3/का0वि0प्रा0/2019–20, दिनांक 24.06.2019 के द्वारा ठोस अपषिष्ट प्रबंधन हेतु प्राधिकरण द्वारा ग्राम सुरार में 18.373 हे0 एवं सेन पूरब पारा में 10.696 हे0 भूमि चिन्हित की गयी हैं।

अतः जनहित में मा0 एन0जी0 टी0 एंव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स–2016 के दृष्टिगत शहर के नागरिकों के जनस्वास्थ्य एवं शहर के उत्सर्जित अपषिष्ट के वैज्ञानिक निस्तारण के दृष्टिगत रखते हुए कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ठोस अपषिष्ट प्रबंधन हेतु चिन्हित भूमि पर M/s Raghavi Infocom & Media Pvt. Ltd. एवं M/s Eneco system Inc. द्वारा पी0पी0पी0 पद्धति पर आधारित "वेस्ट टू एनर्जी" प्लाण्ट की स्थापना, संचालन एवं रखरखाव का कार्य कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ठोस अपषिष्ट प्रबंधन हेतु चिन्हित भूमि पर कराये जाने की स्वीकृति मा0 कार्यकारिणी से अपेक्षित है।

<u>टेबुल प्रस्ताव सं0–161</u> श्रीमती नीलिमा कटियार विधायक कल्यानपुर विधान सभा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :–

संलग्न प्रार्थना पत्र अवलोकित करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रार्थी श्री हर्षित सेठ पुत्र श्री वी0एन0 सेठ निवासी 17/3 माल रोड के निवासी है। प्रार्थी एक कुशल खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक भी है जो कि कानपुर नगर के युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने का काम करते चले आ रहे है किन्तु स्थान के आभाव में कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न हो रही है।

अतः आपसे विनम्र अनुग्रह के साथ कहना चाहूँगी की प्रार्थी को स्व0 रतनलाल शर्मा स्टेडियम किदवई नगर आवंटित करने की कृपा करें। जिससे की कानपुर नगर में प्रशिक्षित हुए खिलाड़ी उत्तर प्रदेश व भारत वर्ष में कानपुर नगर का नाम रोशन कर सके।

.... स्व0 रतनलाल शर्मा स्टेडियम को क्रिकेट प्रशिक्षण हेतु श्री हर्षित सेठ पुत्र वी0एन0 सेठ निवासी–17/3 माल रोड, कानपुर को नगर निगम की नियम/शर्तो के अधीन आवंटित किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>टेबुल प्रस्ताव सं0–162</u> श्रीमती राधा देवी पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :–

विषय :– अटल स्मृति द्वार कार्यकारिणी द्वारा पास कराये जाने के सम्बन्ध में।

माननीया महोदया आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि जोन–5 वार्ड–20 फजलगंज क्षेत्र अन्तर्गत श्री कृष्ण त्रिपाठी निवासी 119/12ए से 119/12जे तक एक कैम्पस है, कि **भारत रत्न स्व0 अटल बिहारी बाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री जी की स्मृति में एक द्वार** उनके नाम से पास कराने की कृपा करें, इसमें जो भी खर्चा आयेगा यहाँ के निवासीगण अपने पास से खर्चा करने का तैयार है। आपसे अनुरोध है कि **अटल स्मृति द्वार** कार्यकारिणी से पास कराने की कृपा करें।

.... तद्नुसार यथानियम स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>टेबुल प्रस्ताव सं0–163</u> श्री सौरभ देव द्वारा प्रस्तुत एवं 05 अन्य पार्षदों द्वारा समर्थित प्रस्ताव पर विचार करना :–

विषय :– कानपुर नगर निगम के स्वामित्व वाले पालिका स्टेडियम बेनाझाबर में क्रिकेट अकादमी चलाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

मैं सादर अनुरोध है कि मेरा द्वारा नगर निगम की आय बढ़ाने तथा क्रिकेट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पालिका स्टेडियम बेनाझाबर में भी क्रिकेट अकादमी का प्रस्ताव प्राप्त करके मा0 कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि श्री विपिन गुप्ता निवासी 68/125 लोकमन मोहाल, कानपुर जो कि क्रिकेट का स्टेट लेबल के खिलाड़ी है को उक्त पालिका स्टेडियम बेनाझाबर में क्रिकेट अकादमी चलाने का इच्छुक है। इनके अकादमी संचालन में नगर में क्रिकेट की गुणवत्ता में सुधार आयेगा। यह मा0 कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित शुल्क को भी अदा करने को तैयार है।

अतः आपसे मा0 कार्यकारिणी के समक्ष सादर अनुरोध है कि विपिन गुप्ता को पालिका स्टेडियम बेनाझाबर में क्रिकेट अकादमी चलाने हेतु आदेश पारित करने का कष्ट करें। जनहित में अति आवश्यक है।

प्रभारी अधिकारी ''क्रीड़ा'' ने कहा कि इस वर्ष पालिका स्टेडियम से नगर निगम को लगभग रू0 09.50 लाख के राजस्व की प्राप्ति हुई है, अतः इसे नगर निगम द्वारा संचालित कराया जाना उचित होगा।

.... नगर आयुक्त को आदेशित किया गया कि पालिका स्टेडियम पर किये जा रहे व्यय एवं आय के साथ अगली कार्यकारिणी समिति में प्रस्तुत किया जाये।

<u>टेबुल प्रस्ताव सं0–164</u> श्रीमती रीता पासवान द्वारा प्रस्तुत एवं 03 अन्य कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा समर्थित प्रस्ताव पर विचार करना :–

अवगत कराना है कि नगर निगम, लखनऊ में प्रत्येक जोन में पहले जोनल नगर स्वास्थ्य अधिकारी तैनात किये जाते थे तथा जोनल नगर स्वास्थ्य अधिकारी के ऊपर मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी की तैनाती की जाती थी परन्तु उक्त व्यवस्था वर्ष 2010 में स्वास्थ्य विभाग द्वारा समाप्त कर दी गई। तत्पश्चात् जोनो में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु सफाई एवं खाद्य निरीक्षक का पर्यवेक्षण करने हेतु जोनल अधिकारी को अधिकृत किया गया तथा स्वास्थ्य विभाग की समस्त पत्रावलियाँ वेतन बिल इत्यादि सफाई एवं खाद्य निरीक्षक के माध्यम से जोनल अधिकारी को प्रेषित की जाती है तदुपरान्त नगर स्वास्थ्य अधिकारी एवं अपर नगर आयुक्त को प्रेषित की जाती है।

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में कानपुर नगर निगम में भी उक्त व्यवस्था प्रभावी किया जाना उचित होगा। इसकी आवश्यकता इसलिये भी है कि कानपुर नगर निगम के जोनो में जो सफाई एवं खाद्य निरीक्षक सबसे वरिष्ठ होता है उसे ही जेड0एस0ओ0 का चार्ज दे दिया जाता है और जेड0एस0ओ0 को चार पहिया वाहन (हल्के वाहन) की सुविधा भी प्रदान की जाती है। यहाँ यह भी अवगत कराना है कि नगर निगम कानपुर के सफाई एवं खाद्य निरीक्षकों को क्षेत्र में कार्य हेतु प्रतिमाह 30 लीटर ईंधन भी नगर निगम द्वारा दिया जाता है।

अतः नगर निगम लखनऊ में प्रभावी व्यवस्था को नगर निगम कानपुर में प्रभावी किया जाना उचित होगा ताकि सफाई व्यवस्था समुचित ढंग से चल सके एवं अनियमित भुगतान भी रोका जा सके।

.... **स्वीकृति प्रदान की गई।**

<u>टेबुल प्रस्ताव सं0–165</u> श्रीमती रीता पासवान द्वारा प्रस्तुत एवं 07 अन्य पार्षदों द्वारा समर्थित प्रस्ताव पर विचार करना :–

विषय :– हमारे वार्ड 5 में खाली जमीन पर पुस्तकालय एवं व्यायामशाला बनाये जाने के सम्बन्ध में।

आपको अवगत कराना है कि हमारे वार्ड–5 जवाहर नगर में कुछ जमीन खाली पड़ी है नागरिकों का कहना है कि यहाँ पर पुस्तकालय एवं व्यायामशाला बन जाए तो यहाँ पर बुजुर्गो को अखबार पढ़ने की सुविधा हो जायेगी और नौजवानों को व्यायाम करने की जगह मिल जायेगी।

अतः महोदया जी से निवेदन है कि उक्त जमीन का 20 साल का पट्टा कर दिया जाये जिससे यहाँ पर पुस्तकालय व व्यायामशाला बनाने का प्रस्ताव कार्यकारिणी से पास कराने की कृपा करें।

सभापति ने कहा कि पहले उक्त स्थल की जमीन के स्वामित्व का परीक्षण करा लिया जाये यदि जमीन नगर निगम की है तो सर्वप्रथम उसकी बाउण्ड्री करायी जाये, उसके उपरान्त विचार–विमर्श कर कार्यवाही की जाये।

.... **परीक्षणोपरान्त अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करें।**

<u>टेबुल प्रस्ताव सं0–166</u> श्री अनूप कुमार शुक्ला द्वारा प्रस्तुत एवं 02 कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा समर्थित प्रस्ताव पर विचार करना :–

विषय :– श्री बलदेव राज सहदेव, प्रमुख विधि परामर्शी को हटाये जाने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव।

नगर निगम कानपुर में श्री बलदेव राज सहदेव, प्रमुख विधि परामर्शी कार्यरत है। श्री बलदेव राज सहदेव प्रतिदिन अपने कार्यालय में नही बैठते है एवं नगर निगम के कई मुकदमों में भी विधिक पैरवी सही ढंग से न होने के कारण हार का सामना करना पड़ा है। नगर निगम के लंबित मुकदमों में भी कोई सही पैरवी दृष्टिगत नही हो रहा है।

अतएव श्री बलदेव राज सहदेव को नगर निगम प्रमुख विधि परामर्शी के पद से हटाये जाने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

.... **उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में विधि विभाग को तद्नुसार कार्यवाही हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

टेबुल प्रस्ताव सं0–167 होम्योपैथिक आनरेरी चिकित्सकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :–

निवेदन है कि हम सभी आनरेरी चिकित्सक होम्योपैथिक, विगत लम्बे अर्से से नगर निगम द्वारा संचालित चिकित्सालयों में चिकित्सीय सेवायें दे रहे है। हमें गत कुछ वर्षो से आनरेरियम मात्र रूपया दस हजार (10000/–) प्रतिमाह दिया जा रहा है, जो वर्तमान में अपर्याप्त है। चिकित्सालयों में दवायें न उपलब्ध होने से उसे सुचारू रूप से चलाने में समस्या होती है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को ध्याम में रखते हुये 20000/– रूपये करने का कष्ट करें।

.... **होम्योपैथिक आनरेरी चिकित्सकों का आनेरियम रू0 12000/– (रूपया बारह हजार मात्र) किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।**

टेबुल प्रस्ताव सं0–168 श्री अरविन्द यादव द्वारा प्रस्तुत एवं तीन कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा समर्थित प्रस्ताव पर विचार करना :–

विषय :– सिंधी कालोनी शास्त्री नगर के बाहर स्थित चौराहे का संदरीकरण करवा के अमर शहीद हेमू कल्याणी चौक किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

विदित हो कि मेरे वार्ड में सिंधी कालोनी के बाहर सी.एल. मेमोरियल हॉस्पिटल के पास एक चौराहा स्थित है। उक्त चौराहे का सुंदरीकरण करवा करके उसका नामकरण सिंधी समाज के वीर सपूत अमर शहीद हेमू कल्याणी चौक किये जाने हेतु सम्बन्धित विभाग को आदेशित करने का कृपा करें।

.... **परीक्षणोपरान्त अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करें।**

टेबुल प्रस्ताव सं0–169 श्री आशुमेन्द्र प्रताप सिंह, पूर्व पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :–

मेरा प्रस्ताव है कि वार्ड–81 कौशलपुरी के अन्तर्गत बम्बा रोड स्थित उत्सव घर (बारातशाला) का निर्माण नगर निगम द्वारा कराया गया था और वहाँ होने वाले कार्यक्रमों से नगर निगम को कोई भी आय नही हो रही है। कृपया उसका शुल्क निर्धारण कर नगर निगम द्वारा संचालित किया जाना आवश्यक है। कार्यकारिणी समिति इस प्रस्ताव को पारित कर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करे।

.... **परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करें।**

टेबुल प्रस्ताव सं0–170 श्री सुनील कुमार कनौजिया द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :–

?

आपको सादर अवगत कराना चाहता हूँ कि जूही बम्बुरहिया स्थित धोबी तालाब जोकि लगभग 150 वर्ष पुराना तालाब है, जहाँ पर धोबी समाज के लोग कपड़े धोकर अपना जीवनयापन करते है व यहीं अधिकाँशतः निवास भी करते है।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि धोबी समाज की इस पुरानी बस्ती का नाम धोबी समाज के महापुरूष के नाम पर संत गाड़गे नगर करते हुये संत गाड़गे प्रवेश द्वार भी स्वीकृत करने की कृपा करें।

.... **यथानियम स्वीकृति प्रदान की गई।**

टेबुल प्रस्ताव सं0–171 श्री यशपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :–

प्रार्थिनी माया देवी पत्नी स्व0 राम प्रसाद साहू के नाम से अभिलेखों में दर्ज है। कानपुर नगर निगम जोन–1 वार्ड–78 के अन्तर्गत म्यूनिसिपल प्लाट नं0 162–173 ब्लाक 15 (12 132) की 38.573 वर्ग मीटर भूमि के पट्टे का नवीनीकरण हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति स्वीकृतार्थ प्रस्तुत करें।

कृपया इसका नवीनीकरण करने का कष्ट करें।

.... **तद्नुसार शासन को नियमो सहित पत्र प्रेषित किया जाये।**

टेबुल प्रस्ताव सं0–172 उद्यान अधीक्षक, पर्यावरण अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत, अपर नगर आयुक्त द्वारा समर्थित एवं नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना **:–मोतीझील स्थित कारगिल पार्क में प्रवेश शुल्क में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में**

मोतीझील स्थित कारगिल पार्क शहर का महत्वपूर्ण पार्क है। हरियालीयुक्त स्वस्थ पर्यावरण के साथ झील, स्वामी विवेकानन्द जी की प्रतिमा, झूले क्यास्क का लाभ शहर के नागरिकों के साथ–साथ अन्य शहर के आने वाले गणमान्य नागरिक एवं बच्चे भी प्राप्त करते है। पार्क में प्रवेश शुल्क दर 5 रू. प्रति व्यक्ति, 3 रू. प्रति बच्चा (3 वर्ष से 12 वर्ष तक) निर्धारित है। साथ ही साथ मार्निंग/ईवनिंग वाकर्स जो प्रतिदिन कारगिल पार्क के स्वस्थ्य पर्यावरण का लाभ प्राप्त करते है, हेतु 30 रू. प्रतिमाह अथवा 300 रू. प्रति वर्ष पास दर निर्धारित है। उक्त दरें अत्यन्त ही कम है। जबकि मोतीझील स्थित के.डी.ए. के बाल उद्यान पार्क में प्रवेश शुल्क 15 रू. प्रति व्यक्ति है। उक्त के दृष्टिगत मोतीझील स्थित कारगिल पार्क का प्रवेश शुल्क मासिक/वार्षिक पास दर निम्नानुसार प्रस्तावित है :–

1. 10 (दस) रू. प्रति व्यक्ति प्रतिदिन।
2. 5 (पॉच) रू. प्रति बच्चा (3 वर्ष से 12 वर्ष) प्रतिदिन।
3. 45 (पैंतालिस) रू. प्रति व्यक्ति प्रति माह अथवा 450 (चार सौ पचास) रू. प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष।

अतः मोतीझील स्थित कारगिल पार्क में उपरोक्तानुसार प्रस्तावित प्रवेश शुल्क, मासिक/वार्षिक पास दर लागू किये जाने हेतु मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

.... **स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।**

टेबुल प्रस्ताव सं0–173 श्री गीरीश चन्द्रा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :–

निवेदन करना है कि नगर निगम वार्ड–7 निराला नगर में राम मन्दिर पार्क एवं चरन सिंह पार्क एवं नगर निगम द्वारा बहुत अच्छा बनाया गया है, आस–पास के लोग पार्क में टहल कर स्वास्थ्य लाभ ले रहे है। मेरा मानना है कि अगर ओपेन जिम बन जाये तो बहुत अच्छा होगा।

.... **परीक्षण कर अगली कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्तुत करें।**

टेबुल प्रस्ताव सं0–174 श्री गीरीश चन्द्रा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :–

निवेदन है नगर निगम वार्ड–7 में गाँधी स्मारक स्कूल के पीछे वाली जमीन है, मेरा मत है कि जनता एवं नगर निगम द्वारा वार्ड मे नगर निगम गेस्ट हाउस बनाने का कष्ट करें ताकि गरीब अमीर जनता की शादी हो सके।

.... **स्थल पर बाउण्ड्री कराकर सुरक्षित किया जाये, तदोपरान्त प्रस्ताव तैयार कर अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।**

टेबुल प्रस्ताव सं0–175 श्री आर0के0सिंह, जोनल अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत एवं नगर आयुक्त महोदय द्वारा समर्थित प्रस्ताव पर विचार करना :– **मा0 श्री अरूण पाठक, सदस्य, विधान परिषद, उ0प्र0 द्वारा प्रेषित पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगरीय विकास योजना के अन्तर्गत विकास कार्य के सम्बन्ध में।**

मा0 श्री अरूण पाठक, सदस्य, विधान परिषद, उ0प्र0 द्वारा प्रेषित पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगरीय विकास योजना के अन्तर्गत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कर्यो हेतु रू0 180.00 लाख के कार्यो की सैद्धान्तिक सहमति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदान कर दी गयी है।

मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष उक्त प्रस्ताव में उल्लिखित धनराशि रू0 180.00 लाख पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगरीय विकास योजना के अन्तर्गत ब्याजमुक्त ऋण के रूप में प्राप्त करने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

.... **नगर निगम राजस्व हित में ऋण लिया जाने पर विचार किया जाना समीचीन होगा ।**

श्री हाजी सुहैल अहमद ने कहा कि मेरे वार्ड में बड़े डॉट नालों की सफाई नही कराई गई है। इसकी जाँच कराई जाये।

नगर आयुक्त ने कहा मैंने स्वयं जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध कर अन्य विभाग की कमेटियों से नाला सफाई की जाँच कराई थी, जिसमें पाया गया था कि लगभग 25 प्रतिशत नालों की सफाई नही कराई गई है। मुख्य अभियन्ता दिखवा लें और दूसरे जोनों की अधिशाषी अभियन्ताओं से इसकी जाँच करा लें।

सभापति ने कहा कि नाला सफाई के कार्य में संलग्न संस्था के कर्मियों का सत्यापन (आधार, ई0एस0आई0, बैंक खाता के साथ) कराये जाने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही कराया जाये साथ ही पत्रांक 143/एम/19–20 दिनांक : 17.08.2019 एवं पत्रांक 166/एम/19–20 दिनांक : 28.08.2019 द्वारा रिलायन्स जीओ लिमिटेड द्वारा एफ0टी0एच0 टावरों हेतु कितनी सिक्योरीटी मनी जमा की गयी, किन–किन स्थानों पर स्वीकृति प्रदान की गयी है, रोड कटिंग हेतु कितनी धनराशि जमा करायी गयी है, किन्तु कार्यकारिणी समिति में उक्त पर आख्या प्रस्तुत नहीं किया गया, सम्बन्धित का स्पष्टीकरण प्राप्त करके अगली कार्यकारिणी समिति में प्रस्तुत किया जाये।

नगर आयुक्त ने कहा कि अब अगले 05 वर्ष हम शहर की सफाई पर ही फोकस करेंगे। हमने 12 नई बॉबकट मशीनें स्मार्ट सिटी से खरीदने हेतु प्रस्ताव तैयार कराया है।

सभापति ने महाप्रबन्धक को निर्देशित किया कि वह अवगत कराये कि अब तक महानगर के अन्तर्गत कितने हैण्डपम्प रिबोर कराये गये है।

महाप्रबन्धक जलकल ने अवगत कराया कि कुल 159 हैण्डपम्प रिबोर कराये जा चुके है और 25 हैण्डपम्पों पर कार्य चल रहा है।

सभापति ने सभी सदस्यों से आज दिनांक 04.09.2019 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की कार्यवाही की पुष्टि हेतु अपना–अपना अभिमत व्यक्त करने हेतु कहा।

.... **सभी सदस्यों द्वारा ध्वनिमत से आज दिनांक 04.09.2019 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की कार्यवाही की पुष्टि की गई।**

अन्त में सभापति द्वारा बैठक की कार्यवाही का समापन किया गया।

(प्रमिला पाण्डेय)
महापौर/सभापति